ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान

भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में

महिला अध्ययनों के विकास हेतु

दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह जफर मार्ग

नई दिल्ली – 110 002

वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

भारतीय विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में महिला अध्ययनों के विकास के संबंध में दिशानिर्देश।

विषयवस्तु

1. प्रस्तावना : नया दृष्टिकोण

2. दिशानिर्देश

3. भाग–I दृष्टिकोण पत्र

3.1 प्रस्तावना

3.2 मौजूदा स्थिति

3.3 प्रस्तावित पद्धति

3.4 शिक्षण और प्रशिक्षण

3.4.1 अध्ययन का निष्णांत कार्यक्रम

3.4.2 एम0एस0सी0 कार्यक्रम

3.4.3 अध्ययन का स्नातक कार्यक्रम

3.4.4 प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम

3.4.5 एम0फिल0 / पी0एच0डी0

3.4.6 अभ्यास कौशल

3.4.7 पठन सामग्री का विकास करना

3.5 अनुसंधान

3.6 क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाएं / आऊटरीच / एडवोकेसी

3.6.1 प्रसार (ग्रंथालय, प्रलेखन तथा प्रकाशन)

3.7 स्टॉफ का प्रबोधन तथा प्रशिक्षण, वार्तालाप तथा कार्यशालाएं

3.8 निगरानी तथा मूल्यांकन

3.9 वि0अ0आ0 में महिला अध्ययनों संबंधी अध्यक्ष पद

3.10 संगठन.....

3.10.1 चरण–I.....

3.10.2 चरण–II.....

3.10.3 चरण–III.....

3.10.4 एक चरण से अगले चरण में अंतरण.....

3.11 उच्च दर्जा.....

4. ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित केन्द्र.....

5. भाग–II : प्रचलनात्मक बल.....

5.1 प्रशासनिक पहलू.....

5.1.1 दर्जा.....

5.1.2 नाम पद्धति.....

5.1.3 कार्यकलाप.....

5.1.4 संकाय .....

5.2 संगठनात्मक ढांचा.....

6 पद्धति.....

7. औपचारिकताएं : भागीदारी और क्लस्टरिंग.....

7.1 भागीदारी.....

7.2 क्लस्टरिंग.....

8. बजट तैयार करना और वित्तपोषण.....

9. प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं.....

10. वित्तपोषण मानदण्ड और सहायता का पैटर्न.....

11. प्रस्ताव प्रस्तुत करना.....

12. वि0अ0आ0 स्थायी समिति संबंधी दिशानिर्देश.....

अनुलग्नक

1. अनुलग्नक I : प्रस्ताव प्ररूप
2. अनुलग्नक II : एक चरण से दूसरे चरण में अंतरण
3. अनुलग्नक III : व्यापक ढांचाः रिपोर्ट लेखन
4. अनुलग्नक IV : उपयोग प्रमाणपत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महिला अध्ययनों के विकास हेतु दिशानिर्देश

1. प्राक्कथन : नया दृष्टिकोण.

1.1 वि0अ0आ0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सातवीं योजना अवधि से ही देश में महिला अध्ययन कार्यक्रमों को बढ़ावा देता आया है, उसे सुदृढ़ किया है तथा एक दिशा देता आ रहा है। महिला अध्ययन केन्द्रों की विश्वविद्यालय तत्र में आठवीं, नौंवी तथा दसवीं योजना अवधि में स्थापना की गई थी। उन्होंने शिक्षण, अनुसंधान तथा क्षेत्र कार्यवाही में महिला अध्ययन, शिक्षण के विस्तार में बड़ा योगदान दिया है।

1.2 ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए दिशानिर्देशों ने विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्रों को सहायता प्रदान कर तथा विश्वविद्यालय तंत्र में शिक्षण तथा अनुसंधान विभाग बनने के लिए सुविधा प्रदान कर महिला अध्ययनों का एक व्यापक नजरिये से देखा है। इसके अलावा कार्यवाही अनुसंधान एवं मूल्यांकन हेतु क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाओं के विकास पर बल दिया जाएगा ताकि ज्ञान और भागीदारी को जाति/वर्ग/धर्म, समुदाय तथा व्यवसायों की सीमाओं से परे विस्तार दिया जा सके। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नए नजरिये के माध्यम से परामर्श, भागीदारी तथा क्लस्टरिंग साथ ही, प्रबोधन तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं पर बल दिया जाता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि अधिकाधिक लोगों तथा संगठनों को नेटवर्क में शामिल किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि नई उभरती हुई विद्या की गुणवत्ता एवं क्रियाकलाप को बनाए रखा जाए। इसलिए, वि0अ0आ0 स्तर पर महिला अध्ययनों के लिए एक अध्यक्ष पद की

आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यह ग्यारहवीं योजना में महिला अध्ययन की योजना के संबंध में दृष्टिकोण में एक नया आयाम साबित हो।

2. दिशानिर्देश

दिशानिर्देश के दो भाग होंगेः–

2.1 भाग–I में दृष्टिकोण पत्र शामिल होगा जो एक ओर संकल्पना, उद्देश्य तथा भूमिका का ब्यौरा देगा वहीं दूसरी ओर रणनीति एवं पद्धतियों का उल्लेख करेगा।

2.2 भाग–II दृष्टिकोण पत्र के निर्देशों और उद्देश्यों को प्रचालनरत करने हेतु निदेश देता है।

3. भाग–I : दृष्टिकोण पत्र

3.1 प्राक्कथन

वर्तमान में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में 67 महिला अध्ययन केन्द्र (डब्ल्यूएससी) स्थापित हैं। इनमें से अधिकतर डब्ल्यूएससी वे हैं जो वि0अ0आ0 की दसवीं योजना में स्थापित किए गए हैं और जिस उद्देश्य से वि0अ0आ0 ने महिला अध्ययन कार्यक्रम आरंभ किया है संभवतः उसका उन्हें स्पष्ट बोध न हो। पिछली योजना अवधियों में स्थापित किए गए डब्ल्यूएससी ने भी अपनी भूमिकाओं तथा उन शर्तों के बारे में अस्पष्टता, जिनके तहत वि0अ0आ0 अनुदान संवितरण करता है, के कारण काफी समस्याओं का सामना किया। इसके अलावा, पिछले तीन दशकों में, महिला अध्ययनों ने महिलाओं के जीवन के यथार्थ के जटिल तथा बहु–आयामी बोध के आधार पर एक अकादमिक महारत हासिल की है तथा पर्याप्त सिद्धांतों का विकास

किया है। इस सम्पन्न सामग्री से कक्षा में विद्यार्थियों को परिचित कराए जाने की आवश्यकता है।

विश्व और निःसंदेह भारत भी नई शताब्दी में बदलाव देख रहा है और यह बदलाव पिछली शताब्दियों के मुकाबले तेजी से हो रहे हैं आरंभ में महिला अध्ययन की संकल्पना सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी की शाखा के रूप में की गई थी। तथापि, आज महिला अध्ययन कार्यक्रम को सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के साथ–साथ अन्य विषयों तथा व्यवसाय जैसे जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्र जैसे कृषि तथा वानिकी, चिकित्सा तथा वास्तुशिल्प को भी साथ लेकर चलना चाहिए। चूँकि इन क्षेत्रों के विकास का महिलाओं के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

महिला अध्ययन को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल करना एक महत्वपूर्ण आरंभिक कार्य या जिसके परिणामस्वरूप वि0अ0आ0 द्वारा विश्वविद्यालयों में और आईसीएसएसआर द्वारा विश्वविद्यालयों के बाहर अनेक केन्द्रों की स्थापना की गई है। दृष्टिकोण पत्र इस बावत एक रूपरेखा तैयार करता है कि हम किस प्रकार इसे सुदृढ़ कर सकें तथा अपनी सीमाओं का पता लगाएं तथा भविष्य में हम क्या चाहते हैं उसका निर्धारण करे और केवल भूतकाल का दास बनकर न रह जाएं।

देश में व्यापक क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठन महिला अध्ययनों में लगे हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में निम्नवत द्वारा महसूस की गई आवश्यकता के प्रत्युत्तर में उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हुई हैः–

अकादमिया को अंतर्विषय ढांचे में सिद्धांत के मुख्य विषय के साथ तथा अन्य विषय के स्त्री परिप्रेक्ष्य में कायांतरण के संदर्भ में महिला अध्ययन का विकास करने हेतु

(ii) योजना निर्माताओं के नीति निर्माण, विशेषकर भारत में न्यायपरक तथा धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका का बोध कराने के लिए।

(iii) विद्वान तथा कार्यकर्त्ताओं को दलित, जनजातीय, श्रमिक तथा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों से महिलाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को अनुसंधान और नीति में स्थान देना।

(iv) नीति निर्माताओं को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरए) तथा साथ ही विश्वविद्यालयों तथा कालेजों सहित सार्वजनिक संस्थाओं में महिलाओं को स्थान देना तथा उन्हें सशक्त बनाना।

इन संगठनों को अनेक प्रकार से समूहबद्ध किया जा सकता है परंतु इस पत्र के उद्देश्य से, उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता के अनुसार समूहबद्ध किया जा सकता है । उदाहरण के लिएः–

(i) विश्वविद्यालयों/कालेज से सम्बद्ध तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित महिला अध्ययन केन्द्र।

(ii) आईसीएसएसआर द्वारा प्रदत्त अनुदान से सहायता प्राप्त कर रहे महिला अध्ययन अनुसंधान संस्थान।

(iii) महिला संगठन जैसे गैर–सरकारी संगठन पंजीकृत सोसायटी अथवा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का विभाग।

(iv) आधारभूत स्तर पर कार्य करने वाले संगठन साथ ही स्त्री संसाधन केन्द्र जो अपने वित्तपोषण के आधार को विविध एजेंसियों, सरकारी, कारपोरेट वित्तीय संस्थानों साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं के माध्यम से विकसित करते हैं।

साथ ही ऐसे व्यक्तिगत रूप से विद्वान भी अध्ययन केन्द्रों से जुड़े होते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से अकादमिशियन जो लिंग–अध्ययन को बड़े संस्थानों तक ले जाते हैं।

इस संगोलन तथा व्यक्तियों एवं एजेंसियों के इस मुक्त ढांचे ने एक साथ महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, गरीबी में रहने वाली महिलाओं, सीमांत वर्गों में रहने वाली महिलाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है तथा महिलाओं पर राजनीतिक और बृहद आर्थिक तंत्र, महिलाओं के विरूद्ध सामाजिक कारक साथ ही महिलाओं के महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर महिलाओं के विचार को लामबंद करने के लिए एक दृष्टिकोण देता है। महिला अध्ययनों में विद्वान सभी बौद्धिक विषयों के लिए दार्शनिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। वे मौजूदा विषय–वार संकल्पनाओं, विधियों तथा पद्धतियों के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं जो महिलाओं की समानता से वंचना को औचित्यपूर्ण ठहराते हैं तथा उन्हें हाशिये पर रखते हैं और उन्हें शून्य समान दर्शाते हैं। नई परिभाषाएं और पद्धतियां तैयार करते हुए उनका उद्देश्य सभी ज्ञान तंत्रों में लिंग चेतना को शामिल करना है। इस प्रक्रिया में वे समाज और अर्थव्यवस्थाओं के बहु आयामों के बारे में ज्ञान के भंडार को विस्तार देते हैं तथा इसे आवश्यक महत्वपूर्ण दिशा देते हैं।

इस प्रकार महिला अध्ययन अंतर्विषय ढांचें के भीतर सिद्धांत के मुख्य क्षेत्र के एक विषय के रूप में उभरा है जो अन्य क्षेत्रों से सिद्धांतों का अनुसरण करता है, अर्थात् सामाजिक विज्ञान, मानविकी तथा विज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान के एक नए क्षेत्र के रूप में, अपने अध्ययनों तथा क्षेत्र कार्यवाहियों से ज्ञान अर्जन करते हुए, अपने लिए उपयोगी, अन्य विषयों से इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग करता है, इस

प्रकार इसकी अंतर्विषय प्रकृति है। इसके साथ ही इसने अन्य विषयों में परिवर्तन/प्रभावित करने के अंतर्निहित सामाजिक उत्तरदायित्व को भी स्वीकार किया है ताकि स्त्री परिप्रेक्ष्य को भी शामिल किया जा सके और सामान्य रूप से महिलाओं का विकास किया जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके तथा विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालयों और कालेजों में उनकी अकादमिक सुदृढ़ता तथा सक्षमता में वृद्धि कर शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी उपस्थिति में वृद्धि की जा सके।

3.2 वर्तमान स्थिति

दसवी योजना में वि0अ0आ0 ने इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों में 51 केन्द्रों तथा कालेजों में 16 केन्द्रों को वित्तपोषित किया है। इन केन्द्रों के लिए बजटीय आवंटन दसवीं योजना में 50 लाख से बढ़ा कर 10 करोड़ रूपये कर दिया है तथा इसे भी अधिक का व्यय किया गया है।

उच्च शिक्षा प्रणाली में महिला अध्ययन को आरंभ किया जाना भारत में महिला आंदोलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। महिला अध्ययन केन्द्रों से परिकल्पना की गई थी कि वे अनेक क्षेत्रों में लिंग परिप्रेक्ष्यगत ज्ञान के सृजन तथा नीति और पद्धति के क्षेत्र में एक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभायेंगे।

महिला अध्ययन केन्द्रों को शिक्षण, अनुसंधान तथा ज्ञान के प्रसार तथा क्षेत्र कार्यवाही के माध्यम से महिला अध्ययन को बढ़ावा देने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था। पिछली योजना अवधि में, महिला अध्ययन केन्द्रों ने न केवल ऊपर दिए गए क्षेत्रों में अपना कार्य किया है, बल्कि अनेक दिशाओं में भी कार्य किया है। महिला अध्ययनों को शिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल करने में उनकी अहम भूमिका रही है, साथ ही उन्होंने सामाजिक रूप से संगत क्षेत्रों में अनुसंधान को भी सुकर बनाया। उन्होंने विद्वानों को परामर्श

दिया तथा विकास परियोजनाओं के मूल्यांकनकर्त्ता की भूमिका निभाई, तथा जिन क्षेत्रों में वे अवस्थित थे उनमें संसाधन सामग्री तथा प्रलेखन का सृजन किया व विश्वविद्यालय तंत्र के भीतर व बाहर दोनों में ही नेटवर्किंग की स्थापना की।

जबकि अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, महिला अध्ययन केन्द्रों ने महिलाओं के मुद्दों को सामने लाने में योगदान दिया तथा सामाजिक रूप से संगत सिद्धांतों को विद्वतापूर्ण ज्ञान के साथ जोड़े का प्रयास किया है तथा बहुविषय सहयोग में एक बातचीत का रास्ता खोलने में सफल हुए हैं।

3.3 प्रस्तावित पद्धति

ग्यारहवीं योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि महिला अध्ययन केन्द्रों के गठन तथा महिला अध्ययन विद्वानों के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए जो नइ सहस्राब्दि में धर्मनिरपेक्ष, समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के राष्ट्रीय उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्वविद्यालय प्रणाली में सांविधिक विभागों के रूप में स्थापित कर विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाए तथा उन्हें बनाए रखा जाए साथ ही घटकों के साथ नेटवर्क करने की उनकी क्षमता का विकास किया जाए जिससे कि वे आपस में एक दूसरे को बल प्रदान करे तथा सहयोग करे।

केन्द्रों का मौजूदा विन्यास इस प्रकार का है कि उनकी अपनी आयु, कौशल, विश्वविद्यालय की स्वयं की प्राथमिकताओं में अवस्थिति तथा साथ ही नेतृत्व में अंतर है। इस दृष्टिकोण पत्र में निष्पादन में तथा केन्द्रों को तथा केन्द्रों को उनकी भूमिका तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करने में अंतर को दूर करने का प्रयास किया गया है।

जबकि विश्वविद्यालय तंत्र में अवस्थित केन्द्रों की प्राथमिक भूमिका शिक्षण, अनुसंधान, क्षेत्र कार्यवाही तथा प्रलेखन के माध्यम से ज्ञान को आत्मसात करने तथा इसका प्रसार करना है, केन्द्र शिक्षण या अनुसंधान के चिन्हित क्षेत्रों में विशिष्टता/उच्च केन्द्र के रूप में उभर सकता है।

उपरोक्त भूमिकाओं के निष्पादन में केन्द्रों/विभागों की क्षमता को अनेक क्षेत्रों में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसमें निम्नवत् शामिल हैः–

(i) शिक्षण तथा प्रशिक्षण

(ii) अनुसंधान

(ii) क्षेत्र कार्यवाही

(iv) ज्ञान प्रसार (ग्रंथालय, प्रलेखन तथा प्रकाशन)

(v) समर्थन (एडवोकेसी)

3.4 शिक्षण तथा प्रशिक्षण

यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालयों में अवस्थित महिला अध्ययन केन्द्र, अंतर्विषय अध्ययन संकाय के तहत स्वतंत्र शिक्षण विभाग हो तथा इन्हें प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र/सम विश्वविद्यालयों के लिए लागू विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत सांविधिक दर्जा दिया जाए। इन केन्द्रों/विभागों को ''नए'' ज्ञान के उपबंध के अतिरिक्त पाठ्यचर्या विकास हेतु हस्तक्षेप में नेतृत्व करना चाहिए। लिंग को सीमांत से केन्द्रीय मुद्दा बनाए जाने से ज्ञानमीमांसा से धर्मशास्त्र तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा फिल्म अध्ययन में मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देने के लिए एक समृद्ध क्षेत्र उपलब्ध कराया है।

इस समय जब विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्व तथा इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, महिला अध्ययन केन्द्रों/विभागों को समाज में उभरती जटिलताओं तथा संपर्क तथा इनके फलस्वरूप उभरती चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए अपने को तैयार करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें 21वीं शताब्दी में इन कार्यों को करने के लिए इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि विश्वविद्यालयों का भविष्य नए सामाजिक तथा प्रौद्योगिकीय मुद्दों से निपटने के नए अंतर्विषय क्षेत्रों की पहचान कर तथा इन क्षेत्रों की समस्याओं का मुकाबला करने के लिए अंतर्विषयी पद्धतियों के उपयोग करने में है। महिला अध्ययन एक ऐसा ही क्षेत्र है, जिसे विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों को पुनः तैयार करके तथा उस पर पुर्नमंथन कर तत्काल विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। सभी विभागों के संकायों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों को महिला अध्ययन केन्द्रों/विभागों द्वारा पुनः तैयार किए जाने तथा इसका विकास किए जाने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर संयुक्त पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किए जाने, वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की संख्या में वृद्धि किए जाने, सभी विभागों तथा केन्द्रों में अवस्थित छात्रों को महिला अध्ययन में विकल्प का चयन करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता है।

हम महिला अध्ययन को स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाये जाने की अनेक संभावनाओं की परिकल्पना करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रस्ताव करते हैं कि महिला अध्ययन का मुखिया एक विशिष्ट अकादमिक हस्ती होना चाहिए। शिक्षण तथा ज्ञान अर्जन–शिक्षण सामग्री को तैयार करने के लिए एक मुख्य स्टॉफ होना चाहिए जिसके लिए अपेक्षित सतत् वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। हम शिक्षण कार्यक्रमों के एक विस्तृत दिशानिर्देशों को प्रस्तुत करते हैं जो विश्वविद्यालयों को इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

3.4.1 अध्ययन का निष्णांत कार्यक्रम

(i) महिला अध्ययन के उच्च अध्ययन केन्द्र/महिला अध्ययनों को पूर्णांग विभाग, मुख्य तथा वैकल्पिक पाठ्यक्रमों तथा एक शोध प्रबंध के साथ निष्णांत स्तर का पाठ्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। मुख्य पाठ्यक्रम स्त्री स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत तथा पद्धति में होगा जिसमें सामान्य सिद्धान्त तथा पद्धति में उनके विशेष योगदान पर बल दिया जायेगा। वैकल्पिक विषय में विभिन्न केन्द्रों की सक्षमता तथा रूचि एवं प्रणोद के आधार पर विभिन्न केन्द्रों में विकसित अनेक पाठ्यक्रम कवर किए जायेंगे। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालय वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए पृथक प्रणाली का पालन करते हैं तथा अलग–अलग महत्व देते हैं सापेक्ष अनुपात का परिकलन प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा इसकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किया जायेगा।

(ii) सभी विषयों के छात्रों के लिए यह संभव होना चाहिए कि उनके विभाग में ऐसे पाठ्यक्रम हों जो महिला अध्ययनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विषयागत परिप्रेक्ष्य प्रदान करें। इसके साथ–साथ रूचि लेने वाले छात्रों को महिला अध्ययन पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक स्त्री स्वातंत्र्यवादी सिद्धांत को आवश्यक पाठ्यक्रम के रूप में चुनने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुल क्रेडिटों के एक तिहाई अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षित होने के साथ–साथ निष्णांत स्तर पर प्रत्येक विषय में महिला अध्ययन पर उप–विशेषज्ञता संभव होनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों को डब्ल्यूएससी अथवा महिला अध्ययन केन्द्रों/विभागों द्वारा स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है। इस प्रकार के केन्द्र/विभाग निष्णांत कार्यक्रम के सभी चार सेमेस्टरों में क्रेडिट पाठ्यक्रम का विकल्प अपनाने वाले छात्रों के लिए महिला अध्ययनों में एक लघु डिग्री/विशेषज्ञता की पेशकश भी कर सकते हैं।

(iii) विश्वविद्यालय जहां, निष्णांत या निष्णांत स्तर पर विषय में कला निष्णांत या उप–विशेषज्ञता संभव नहीं है, उन्हें अन्य सभी विभागों में छात्रों को महिला अध्ययन केन्द्रों/विभागों से वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का चयन करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। परवर्ती को निष्णांत स्तर पर कम से कम दो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों का वास्ता, पितृसत्ता, परिवार तथा लिंग तथा महिला अध्ययन में वाद–विवाद किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से होना चाहिए। जैसे संकल्पनात्मक प्रणाली, विज्ञान संबंधी मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना जैसे विकास के मुद्दे, इतिहास, संस्कृति तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर महिला अध्ययनों के दौरान वाद–विवाद किया जाता है। दूसरे, महिला अध्ययनों के अलावा अन्य विभागों में प्रणाली विज्ञान पर पाठ्यक्रमों को उनके प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु में महिला अध्ययनों के अकादमिक योगदान को समेकित किए जाने की संभावना है।

3.4.2 एम0एस0सी0 कार्यक्रम

केन्द्र की मदद से विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए महिला अध्ययनों में अल्पकालीन और वैकल्पिक पाठ्यक्रम आरंभ करने के अलावा, उन्हें संबंधित परिषद् जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा वास्तुविद् परिषद् आदि को उनके संबंधित पेशेवर विषयों के माध्यम से प्रौद्योगिकी, कृषि, वानिकी तथा पर्यावरण जैसे अन्य विषयों में भी उनका विकास किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। वि0अ0आ0 इन परिषद्ों के साथ बातचीत करने तथा महिला अध्ययन आंदोलन को समर्थन देने में एक अहम भूमिका निभाएगा।

3.4.3 स्नातक अध्ययन कार्यक्रम

(क) कला स्नातक आनर्स

पुनः विभिन्न विषयों में कला आनर्स कार्यक्रम के विभिन्न ढांचें हैं, जो अध्ययन कार्यक्रम के पहले दो वर्ष के दौरान चार सहायक (मात्र उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) विषयों के साथ–साथ तीन वर्ष के दौरान कुल 13 से 18 तक हो सकते हैं। यह प्रस्ताव किया गया कि स्नातक पूर्व स्तर पर आवश्यक विषय के रूप में महिला परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों, पर्यावरण तथा वैश्विकरण अथवा वैकल्पिक रूप से मुख्य पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में एक समेकित मूलभूत पाठ्यक्रम के रूप में पेशकश की जानी चाहिए। इस पाठ्यक्रम की पहुंच स्नातक कार्यक्रमों यथा मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान के छात्रों तक होनी चाहिए। विशेषज्ञता के विषय में महिला अध्ययनों से वैकल्पिक पाठ्यक्रम को भविष्य में भी इसी स्तर पर आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) बी0ए0 पास

इस कार्यक्रम में समान संख्या में पूरक पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है परंतु इसमें मुख्य पाठ्यक्रमों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। बी0ए0 आनर्स के लिए सुझाए गए पाठ्यक्रम की पेशकश पूरक तथा मुख्य दोनों ही स्तर पर की जा सकती है।

(ग) बी0एस0सी0

बी0ए0 की तर्ज पर महिला अध्ययन के एक प्रारम्भिक पाठ्यक्रम को विज्ञान के विषयों में भी आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। डब्ल्यू0एस0सी0 को विज्ञान छात्रों को आकर्षित करने के लिए वैकल्पिक तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ करने चाहिए।

3.4.4 प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम

(i) स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो भागीदारों को मुख्य वाद–विवाद को बोध करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह महिला अध्ययन हेतु एक मजबूत संस्थागत आधार तैयार करने में मदद करेगा। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से संकल्पनात्मक, प्रणालीतंत्र संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए तथा छात्रों को महिला अध्ययन पर विशिष्ट क्षेत्रों में पत्र/शोध पत्र को जारी रखने हेतु बढ़ावा देना चाहिए।

(ii) उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त लिंग परिप्रेक्ष्य से कानूनी साक्षरता/फिल्म अध्ययन/तुलनात्मक साहित्य/मीडिया अध्ययन पर प्रायोगिक आधार कुछ महिला केन्द्रों में अल्पकालीन/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं।

(iii) पेशेवरों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को कैम्प्स तथा साथ ही बाहरी/पत्राचार पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के भाग के रूप में चालया जाना चाहिए। विधिक साक्षरता, लिंग तथा विकास, विविध क्षेत्रों यथा चिकित्सा, स्वास्थ्य, व्यापार प्रबंधन, सामाजिक कार्य परामर्श तथा मीडिया आदि में पेशेवरों के लिए लिंग साक्षरता संबंधी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

3.4.5. एम0फिल0 / पी0एच0डी0

महिला अध्ययनों पर स्वतंत्र तथा संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययनों में स्वतंत्र अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन बोर्ड तथा अनुसंधान मान्यता समिति का गठन करना चाहिए। वे छात्र जिन्हें महिला अध्ययनों में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है और वे पूर्णांग डब्ल्यूएससी में या अन्य विभागों में लिंग संबंधी मुद्दों के विषयों पर एम0फिल0 / पी0एच0डी0 करना चाहते हैं। उन्हें महिला अध्ययनों पर आवश्यक प्रारम्भिक कार्यक्रम का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि अनुसंधान के लिए एक आधार तैयार किया जा सके।

3.4.6. व्यावहारिक कौशल

पाठ्यचर्या में क्षेत्र अभ्यास का एक घटक शामिल होना चाहिए ताकि महिला अध्ययनों में स्नातक उपाधि धारकों के पास सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों और साथ ही कारपोरेट और मीडिया क्षेत्र में आज के दौर में व्यापक क्षेत्रों में उभर रहे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। सामाजिक कार्य शिक्षा के संस्थानों से सबक लिया जा सकता कि किस प्रकार इस तरह के कौशल प्रशिक्षण आधारित क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा सकता है।

3.4.7. पाठ्य सामग्री का विकास करना

विशेषकर भारतीय भाषाओं में महिला अध्ययनों पर मानक पाठ्य पुस्तकों / रीडरों का विकास एक तात्कालिक कार्य होगा। एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें महिला अध्ययनों तथा अन्य विषयों से विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं ताकि वे

इस कवायद की गइराई में जा सकें। नोडल केन्द्र अथवा विशिष्ट रूप से चिन्हित महिला अध्ययन विभागों को इन समितियों का आयोजन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है, जो विशिष्टता के विभिन्न क्षेत्र को कवर करें। इस प्रकार से तैयार की गई सामग्री विशिष्ट रूप से नए केन्द्रों के लिए उपयोगी होगी।

3.5. अनुसंधान

महिला अध्ययन कार्यक्रमों में अनुसंधान गुणागुण परीक्षा तथा गुणात्मक एवं प्रमाणात्मक दोनों ही तरीकों से सूचना की पहचान एवं विश्लेषण करने के लिए नए ढांचों का विकास करने हेतु सिद्धांतों की पुनर्रचना करना शामिल है। डब्ल्यूएससी को व्यापक पद्धतियों का उपयोग कर अंतर्विषय अनुसंधान के साथ प्रयोग करने की आवश्यकता है। पूर्ण रूप से अकादमिक साथ ही कार्यवाही अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सहयोगात्मक अनुसंधान को क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए चूँकि यह न केवल ज्ञान के सृजन में योगदान देगा बल्कि इस प्रक्रिया में डब्ल्यूएससी को अकादमिक रूप से सुदृढ़ करेगा। इस प्रकार की अनुसंधान परियोजनाएं वि0अ0आ0 से मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अनुसंधान का मुख्य तत्व कार्यक्रम का एक स्रोत है तथा निरंतरता एवं साथ ही अवसरों के लिए सहायता तथा बृहद प्रसार के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है।

दशक के पिछले 25 वर्षों के दौरान भारत में महिला अध्ययनों की उपलब्धियों की समीक्षा यह दर्शाती है कि विभिन्न भाषाओं में महिलाओं के लेखन व उनके अनुवाद इस आंदोलन का एक सबसे सकारात्मक निष्कर्ष रहा है। महिला अध्ययन छात्रवृत्तियों के माध्यम से पुरातन काल की पाठ्य सामग्री प्राप्त की गई है जो न केवल साहित्य स्कॉलर के लिए बल्कि बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय इतिहास के छात्रों के लिए एक विशिष्ट स्रोत सामग्री उपलब्ध कराता है।

पिछले कुछ दशकों में, कृषक, जनजातीय तथा दलित आंदोलनों के संबंध में अनेक मौखिक व्याख्यानों का प्रलेखन किया गया है जिससे आधुनिक भारत के इतिहास में एक नई अंतदृष्टि मिलती है। विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर महिला अध्ययनों, लुप्त स्वरों तथा तुलनात्मक साहित्य के बीच महत्वपूर्ण संयोजन का पता लगाया जाना चाहिए।

आरंभिक चरण में, महिला अध्ययनों को तार्किक रूप से मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों के भाग के रूप में देखा गया। तथापि, इन सीमाओं से परे देखकर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से प्रजनन प्रौद्योगिकियों, आनुवांशिक विज्ञानों, कृषि, औषधि तथा अन्य विषयों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है।

अन्य क्षेत्र जिन्हें सतत् रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता है, वे हैं, शिक्षा, सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास तथा महत्वपूर्ण वैश्विक अध्ययन।

अन्य क्षेत्र भी हैं जो समान रूप से अप्रतिरोध्य तथा चुनौतीपूर्ण हैं। जिन नए तरीकों से जाति तथा सम्प्रदायवाद 1990 में उभरा, उसने देश में महिला आंदोलन तथा महिला अध्ययन को गंभीर चुनौती दी है। पिछले दो दशकों के दौरान भारत में महिला अध्ययनों ने मुख्य धारा के विषयों में विश्लेषण की श्रेणी के रूप में एक लिंग की गैर–मौजूदगी, विरूपण तथा उसे हाशिये पर रखने तथा उनके नियमीकरण के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

सामाजिक विज्ञान की मुख्य धारा के समालोचकों के अलावा जाति के प्रतिष्ठित ढांचें ने भी महिला अध्ययनों पर अपनी छाप छोड़ी है। अब महिला अध्ययनों को लिंग से संबंधित मुद्दों के जातिगत तथा सामुदायिक विशिष्टताओं पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। महिला अध्ययनों को महिलाओं के अधिकारों को अन्य हाशिये पर

रहने वाले समूहों के अधिकारों के साथ जोड़ कर साझे जनतंत्रवादी आंदोलन के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है।

फिल्म अध्ययन जोकि एक उभरता हुआ विषय है, हमारे विचार से जिसके सक्रिय सहयोग से महिला अध्ययनों को लाभ पहुंचेगा। भारत, विश्व में फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता (अनेक भाषाओं में) हैं, जिनका निश्चित ही एक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से महिलाओं के जीवन पर व्यापक होते दृश्य मीडिया पर जनसंचार तथा अनुसंधान के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर महिलाओं के इतिहास संबंधी फिल्म वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं। महिला अध्ययनों तथा फिल्म अध्ययनों के बीच एक सक्रिय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति (सीएसडब्ल्यूआई) की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से ही जनसांख्यिकी का विषय, महिलाओं के दोनों आंदोलनों और महिला अध्ययनों तथा भारतीय समाज में अधिकांश महिलाओं के हाशिये पर आने के प्रमाण के रूप में लिंग अनुपात से घनिष्ठता से जुड़ गया। भारत की 2001 की जनगणना के आंकड़ें, लिंग–अनुपात रूझान में आंतरिक बदलाव का उद्घटन करते हैं। सार्क सम्मेलन द्वारा बालिकाओं के लिए समर्पित दशक (1990) के दौरान ''लापता लड़कियां'' ने ''लापता महिलाओं'' का स्थान ले लिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तत्काल अन्वेषण, क्षेत्र कार्यवाही, कार्यवाही अनुसंधान तथा अन्य प्रकार के अनुसंधान तथा समर्थन (एडवोकेसी) प्रयासों की आवश्यकता है।

मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों तथा बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन ने विशिष्ट और साथ ही सामान्य शिक्षा के लिए वैधानिक अध्ययनों के महत्व को बढ़ा दिया है। महिला अध्ययनों को सामाजिक विद्यमानता के इन सभी नए विधिक पहलुओं के साथ तालमेल बढ़ाना चाहिए। अध्ययन हेतु ऊपर सुझाए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कुछ विषय जिन पर जांच किए जाने की आवश्यकता है, नीचे दिए गए हैं।

(i) नई आर्थिक नीति और महिलाओं पर इसका प्रभाव।

(ii) पीआरआई में महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए; महिलाएं तथा राजनीतिक प्रक्रिया।

(iii) महिलाओं तथा प्रजनन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा महिलाएं।

(iv) महिलाओं और बालिकाओं पर सार्वजनिक तथा घरेलू दोनों प्रकार की हिंसा।

(v) घर चलाने वाली महिलाएं तथा परिवार की रोजी–रोटी चलाने वाले के रूप में महिलाएं।

(vi) प्रवसन तथा विस्थापन–आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय।

(vii) संगठित व असंगठित श्रमशक्ति में महिलाएं।

(viii) लिंग, जाति तथा नृजातीय असमानताओं का अंतः पाशन।

(ix) जाति तथा साम्प्रदायिक हिंसा का लिंग संबंधी पहलू।

(x) भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारीवादी सिद्धांत तथा कार्य, शक्ति, स्वायत्तता, पितृसत्ता, वर्ग–जाति, लैंगिकता, अन्य के साथ–साथ सेक्स–वर्क की अवधारणाओं का महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण शामिल है।

(xi) लिंग एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां–मौखिक, मुद्रित तथा दृश्य–श्रव्य रूप में।

(xii) मानवाधिकारों की विधिक परिभाषा में महिलाओं के अधिकार।

विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित एवं अनुरोध किए बहु–विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के साथ ही स्वयं आरंभ किए गए अनुसंधान, अनुप्रायोगिक एवं मूलभूत चाहे वह बाह्य रूप से वित्तपोषित किए गए हो, पर बल दिया जाना चाहिए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय डाटाबेस तथा सिफारिशों का विकास करने के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों के मध्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चूँकि महिला अध्ययनों ने विषय के रूप में अपनी एक अलग ही अनुसंधान पद्धति विकसित की है, गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

विशिष्टता के कतिपय क्षेत्रों के सम्मेकन हेतु डब्ल्यूएससी द्वारा आरंभ की जाने वाली क्षेत्र कार्यवाही, अनुसंधान, प्रलेखन, शिक्षण तथा विस्तार गतिविधियों को एक दूसरे के सहयोग से निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि वह विस्तार शिक्षा के अलावा, जोकि आऊटरीच कार्य में शैक्षणिक गतिविधि है, अन्य गतिविधियों यथा क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाएं, एडवोकेसी अथवा नीति विकास तथा अनुसंधान को आरंभ किया जाना चाहिए, चूँकि बाद की गतिविधियों को एजेंसियों अथवा सरकार द्वारा जल्द ही आरंभ किया जाता है जैसे कार्यक्रमों का मूल्यांकन, विशेष सर्वेक्षण, अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं आदि।

3.6. क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाएं/आऊटरीच/एडवोकेसी

क्षेत्र कार्यवाही के लिए विस्तार शब्द को क्षेत्र कार्यवाही परियोजना (जैसा कि XI वीं योजना दस्तावेज में दिया गया है) से प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिससे ज्ञान का विस्तार होता है। जहां अनुसंधान इस प्रकार की क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाओं में

निहित होता है, शब्द कार्यवाही अनुसंधान को निम्नवत् दर्शाते हुए सिफारिश की जाती है (क) कि यह एक दोहरी ज्ञान अर्जन प्रक्रिया है–क्षेत्र में महिलाओं तथा डब्ल्यूएससी दोनों के लिए; (ख) कि प्रत्येक पार्टी भागीदार के लिए अलग कौशल, ज्ञान तथा क्षमता लेकर आता है जबकि यह एक सामान्य सरोकार होता है; तथा (ग) कि वे भागीदारी के माध्यम से अपने संबंधित क्षेत्रों में नए ज्ञान के विकास/संपरिवर्तन हेतु कार्य की पहचान करते हैं व उसे आरंभ करते हैं।

क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाओं तथा कार्यवाही अनुसंधान परियोजनाओं को आरंभ करने में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह परियोजनाएं नए ज्ञान के विकास की ओर ले जाएँ, अथवा सेवा के नए क्षेत्र, नई रणनीति या कार्य की नई पद्धति का निरूपण करें। अकादमिक संस्थानों के रूप में डब्ल्यूएससी का केन्द्र बिन्दु सेवा देना नहीं है बल्कि इस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से नए ज्ञान का विकास करना है। इन परियोजनाओं को बदलाव की ऐसी प्रक्रिया को आरंभ करना चाहिए जोकि दोनों भागीदारों की प्रगति कर सके। भागीदारों के बीच सम्बन्धों के परिवर्तन की प्रक्रिया के निरूपण के माध्यम से तथा अंतर्निहित सामाजिक ढ़ांचें के आरंभिक बिन्दु, जिसमें वर्षों के बाद एक परिवर्तन आना शुरू हुआ है, इन परिवर्तनों को डब्ल्यूएससी एक नवाचार पद्धति के माध्यम से लेखाबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार की परियोजनाएं/प्रयोग मानव, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में ज्ञान की सामान्य प्रगति में योगदान देते हुए महिला अध्ययनों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। इसलिए पहुंच/समर्थन/क्षेत्र कार्यवाही की निम्नवत् रूप से परिकल्पना की जा सकती हैः–

(i) कार्यवाही तथा समर्थन, चाहे वह अनुसंधान या प्रलेखन, नए ज्ञान, कार्यक्रम तथा रणनीतियों के विकास हेतु वैकल्पिक मॉडलों/डिजाईनों का विकास करना हो, इनमें अकादमिक घटक को बढ़ावा देना तथा मात्र सेवा पद्धति से पूर्ण रूप से अलग होना शामिल है।

(ii) क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाओं अथवा महिलाओं, विशेष रूप से गरीब तथा हाशिये पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं के लिए तैयार की गई अनेक नीतियों, कार्यक्रमों तथा हकदारियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण के माध्यम से निरूपण द्वारा देश में महिलाओं के विकास के संबंध में नीतियों को प्रभावित करना तथा विचारों में परिवर्तन लाना। उदाहरण के लिए महिला सामाख्या जैसे कार्यक्रम जोकि ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए एक व्यापक शैक्षणिक तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम है, स्वंय–सेवी समूह तथा सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म वित्त महिला लक्षित हस्तक्षेप है जोकि सम्पूर्ण देश में महिलाओं के विकास के लिए मुख्य रणनीति है तथा पंचायतों में महिलाओं की भूमिका तथा महिला सशक्तिकरण, जोकि उसका मुख्य उद्देश्य था, के संबंध में महत्वपूर्ण मूल्यांकन तथा तुलनात्मक निर्धारण करने की आवश्यकता है।

(iii) महिला अध्ययन कार्यक्रमों में समर्थन (एडवोकेसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। बृहद नीतियों की समालोचना से लेकर अनुसंधान पद्धतियों तक ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संस्थानों तथा जनता के बीच कर्मठों को प्रभावित कर सकते हैं जैसे सिविल सोसायटी तथा राज्य। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालयों के भीतर तथा इससे इतर महिला पाठ्यक्रमों तथा सक्षमताओं, अधिकारों एवं उनके दमन पर जानकारीयुक्त सार्वजनिक मत तैयार करना शामिल है।

3.6.1 ज्ञान का प्रसार (ग्रंथालय, प्रलेखन तथा प्रकाशन)

महिला अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण पहलू, नई सूचना एवं विश्लेषण है, जो नए सिद्धांतों को जन्म देता है। सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों, मुद्दा आधारित सकारात्मक कार्यवाही आदि की रिपोर्ट, ज्ञान का सृजन करते हैं, जिसका महिला सशक्तिकरण हेतु नीति तथा कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रलेखन किया जाना चाहिए।

अभी भी भारत में अच्छी पुस्तकों, पाठकों तथा महिला अध्ययन के शिक्षण हेतु पाठ्य सामग्री का नितांत अभाव है। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं दोनों में ही ज्ञान अर्जन तथा शिक्षण सामग्री के अभाव में महिला अध्ययनों के अकादमिक घटक का प्रभाव कम हो गया है। शिक्षण एवं अनुसंधान सामग्री के विकास एवं अनुसंधान के संवर्धन हेतु निम्नलिखित सुझाव हैंः–

(i) पाठ्य पुस्तकों, रीडरों/संदर्भ ग्रंथों की विशेषकर व्याख्यायुक्त सूची को तैयार करना, जो शिक्षा तथा अनुसंधान में उपयोगी होगी।

(ii) व्यापक परिचालन हेतु प्रकाशित/पूर्ण किए गए अनुसंधान कार्य का विषयक संकलन।

(iii) प्रत्येक क्षेत्र में महिला अध्ययनों पर अनुसंधान के क्षेत्रीय डाटा बैक का संकलन।

(iv) अंग्रजी तथा भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण/ज्ञान अर्जन सामग्री तथा शब्दकोष/शब्दावली।

(v) विशिष्ट पदों पर आसीन महिलाओं की राज्यवार निदेशिका महिला अध्ययन केन्द्रों को निम्नवत् कार्य भी आरंभ करने चाहिएः–

(i) मौखिक वृतांतों का प्रलेखन।

(ii) महिलाओं के लेखन का अनुवाद।

(iii) महिलाओं के आंदोलन तथा अन्य जनतांत्रिक आंदोलनों का प्रलेखन।

(iv) लिंग समानता हेतु संघर्षों के सुदृढ़ करने के लिए आंकड़ा आधार उपलब्ध कराना तथा उसका विकास करना।

यह सुझाव दिया जाता है कि महिलाओं के अध्ययन कार्यक्रमों हेतु ग्रंथालय तथा प्रलेखन इकाईयों के लिए एक विशेष बजटीय प्रावधान किया जाए जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूँजीगत उपस्कर हेतु आवश्यकतों पर ध्यान दिया जाए। महिला अध्ययनों पर एक मौजूदा ग्रंथालय, अन्य विश्वविद्यालय केन्द्रों के साथ प्रकाशनों, प्रलेखन तथा ग्रंथालयों सहित संसाधनों के विकास तथा उनके प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

3.7 कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा प्रबोधन, संवाद तथा कार्यशालाएं

यह पाया गया कि अनेक नए केन्द्र अपने उद्देश्य को पता लगाने हेतु प्रयासरत् हैं। चूँकि महिला अध्ययन, अंतर्विषय संकेन्द्रण तथा क्षेत्र कार्यवाही और अंतर्निहित समर्थन के साथ एक नया विषय है, अनुसंधान के अलावा, केवल कुछ केन्द्रों को ऐसा अकादमिक अवसर प्राप्त हुआ होगा। कभी–कभार कोई भी मुद्दा जिसका महिला से कुछ भी सरोकार हो, उसे महिला अध्ययन के रूप में देखा जाता है। ग्यारहवीं योजना अवधि में, बड़ी संख्या में महिला अध्ययन केन्द्रों को आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है, ताकि समय रहते ही यह उभरते हुए विषय जैसे जैव प्रौद्योगिकी विषयों की तरह विश्वविद्यालयों में एक नियमित विषय बन जाएं। इसलिए, पाठ्यक्रमों, अनुसंधान तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए आवधिक प्रबोधन कार्यक्रम अत्यावश्यक है। यहां तक कि पुस्तकालयध्यक्षों को भी सामान्य प्रकाशनों के अलावा उचित सामग्रियों का पता लगाने के लिए ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता होगी। इसलिए, केन्द्रों को सामान्य अनुदान के अलावा विशिष्ट अनुदानों के माध्यम से इन क्रियाकलापों हेतु वित्तीय आवंटन किया जाएगा, जिसे चरण–III में दिए गए उद्देश्य के अलावा विशेष रूप से चयनित उद्देश्य हेतु दिया जाएगा। उभरती हुई संकल्पनाओं तथा क्षेत्र कार्यवाही रणनीतियों तथा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बेहतर समय–बूझ तथा

भागीदारी के लिए वि0अ0आ0 तथा गैर–वि0अ0आ0 केन्द्रों तथा कार्यकर्त्ताओं के लिए संवाद तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

अकादमिक एवं प्रशासनिक पहलुओं की बेहतर समझ–बूझ के लिए चालू वार्तालाप के भाग के रूप में महिला अध्ययन केन्द्रों के निदेशकों की स्थायी समिति द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक–सह–सम्मेलन एक नियमित विशेषता होनी चाहिए जिसके लिए बजट में निधियॉ आवंटित की जाती हैं।

3.8 निगरानी तथा मूल्यांकन

विश्वविद्यालय प्रणाली में दृढ़ता के साथ महिला अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए, महिला अध्ययन को अकादमिक उग्रता धारण करने की आवश्यकता है जिससे यह अन्य विषयों से विद्वानों को प्रभावित करेगा ताकि वे उनके पाठ्यचर्या में संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को शामिल करें। साथ ही उत्तरदायित्व तथा निष्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मानदण्ड निर्धारित कर निगरानी की मौजूदा प्रणाली जरूरी है। इनके कुछ तंत्र हैं, स्व–मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, आवधिक समीक्षाएं, क्षेत्रीय स्तर पर सहकर्मी–समीक्षा तथा अन्य रणनीतियां। वि0अ0आ0 स्थायी समितियों को देश में महिला अध्ययनों को दिशा देने के लिए एक अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की आवश्यकता है।

3.8.1 जवाबदेही तथा निष्पादन एवं उत्कृष्टता की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र अनिवार्य है।

3.8.2 वि0अ0आ0 स्थायी समिति द्वारा आवधिक रूप से महिला अध्ययन केन्द्रों की निगरानी तथा मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही मूल्यांकनों पर विचार किया जाएगा।

3.8.3 प्रत्येक वर्ष केन्द्र का मुखिया, परामर्शदात्री समिति को अपने केन्द्र के कार्यकरण पर एक रिपोर्ट देगा तथा तत्पश्चात् इसे वि0अ0आ0 के समक्ष प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में उपलब्धियों, सीमाओं, सामना की गई समस्याओं तथा की गई कार्यवाही का उल्लेख किया जाएगा। केवल कार्यकलापों को सूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उद्देश्य तथा इसके परिप्रेक्ष्य के संक्षिप्त सार पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में प्रमाणात्मकता के साथ–साथ गुणात्मकता पर भी बल दिया जाना चाहिए।

3.8.4 जिन कार्यकलापों का मूल्यांकन किया जाएगा उनमें निम्नवत् कवर किए जायेंगेः–

– शिक्षण तथा प्रशिक्षण।

– अनुसंधान।

– क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाएं तथा कार्यवाही अनुसंधान, पहुंच तथा समर्थन।

– प्रलेखन (सूचना प्रसार, ग्रंथालय तथा प्रकाशन)

– नए केन्द्र तथा II/III चरण में एक केन्द्र के बीच युग्मता।

– क्लस्टरिंग तथा महिला अध्ययन के गैर–वि0अ0आ0 केन्द्रों तक पहुंच, विश्वविद्यालयों/कालेजों, गैर–सरकारी संगठन, परिवेशी समुदायों आदि के क्लस्टर तथा कालेजों, छात्रों तथा अन्य विभागों के शिक्षक आदि।

– विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री का प्रकाशन।

– केन्द्र के विशेष/नवाचार कार्यकलाप तथा विशेषताएं।

– संगठनात्मक सक्षमताएं।

3.8.5 वार्षिक रिपोर्टों के अतिरिक्त केन्द्र, वि0अ0आ0 की एक मध्यावधि समीक्षा तथा पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में एक अंतिम समीक्षा अग्रेषित करेगा।

3.9 वि0अ0आ0 में महिला अध्ययन में अध्यक्षपीठ

महिला अध्ययनों में अध्यक्ष पीठ के गठन हेतु यूनेस्कों की एक योजना है। वि0अ0आ0 अध्यक्षपीठ, मुख्य पेशेवर तथा प्रशासनिक स्टॉफ पर आने वाली लागत का वित्तपोषण करेगा जिसे बजट में शामिल किया गया है, जबकि यूनेस्को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में महिलाओं के अध्ययन के विकास को सुकर बनाने के लिए अध्यक्षपीठ द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों को वित्तपोषित करेगा।

अन्य विषय तथा अंतर्विषयों की भांति एक सुदृढ़ आधार पर महिला अध्ययन को चिर अपेक्षित बल प्रदान करने के लिए यू0जी0सी0 में यूनेस्को चेयर की पुर्नस्थापना पर XIवीं योजना में ध्यान दिया जाएगा।

3.10 संगठन

चूँकि मौजूदा महिला अध्ययन केन्द्र इतिहास तथा लक्षण में एक विविधता दर्शाते हैं तथा उन्होंने विशिष्टता के क्षेत्रों का विकास कर लिया है, प्रत्येक केन्द्र की क्षमताओं के आधार पर विकासात्मक प्रक्रिया के चरणबद्ध तंत्र का प्रस्ताव है।

(क) चरण–I

(ख) चरण–II; तथा

(ग) चरण–III

साथ ही, पिछले 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर विश्वविद्यालय आधारित कार्यक्रमों के व्यापक आधार के भीतर तथा बाह्य महिला क्रियातन्त्र तथा अनुसंधान एजेंसी के इतर एक दूसरे के पूरक कौशल के कलस्टर की नेटवर्किंग की संकल्पना उभरी है।

शिक्षण–प्रशिक्षण, अनुसंधान–प्रलेखन, क्षेत्र–कार्यवाही–समर्थन, चरण–I,II,III के तहत सभी केन्द्रों के मुख्य गतिविधियों का केन्द्र बनेगा, जबकि स्तर तथा बल, चरण से चरण तथा केन्द्र से केन्द्र पर अलग–अलग होगा।

अपेक्षाओं के मानदण्ड का उदाहरण नीचे दिया गया है। यह परस्पर भिन्न कार्य नहीं है तथा इसी के मद्देनजर विभिन्न चरणों के तहत केन्द्रों में कार्य की अतिव्याप्ति होगी।

3.10.1 चरण–I

चरण–I के दो स्तर होंगे।

(क) प्रारम्भिक

(ख) जैसे–जैसे केन्द्र परिपक्व होगा, यह चरण (ख) की ओर बढ़ेगा।

(क) प्रारम्भिक या आरम्भिक चरण निम्नवत् द्वारा कार्य आरंभ करेगाः–

– स्वतंत्र अनुसंधान तथा प्रकाशन का बोध।

– स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन तथा अनुवाद।

– ग्रंथागार तथा प्रलेखन।

– आंकड़ें तैयार करना तथा सूचना का प्रसार।

– संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना।

– अन्य विभागों, केन्द्रों, विद्वानों, कालेजों, गैर–सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) के साथ संबंध बनाना।

– महत्वपूर्ण रूप से चरण–II तथा चरण–III द्वारा आयोजित परामर्शदात्री कार्यक्रमों में भाग लेकर।

(ख) जैसे–जैसे केन्द्र परिपक्व होगा, यह निम्नवत् की ओर अग्रसर होगाः–

– छात्रों, शिक्षकों, गैर–सरकारी संगठनों के लिए प्रबोधन कार्यक्रमों को आयोजित करना; अध्ययन मंडल आयोजित करना, महिला अध्ययनों पर अनुसंधान हेतु छात्रों और शिक्षकों को मार्गदर्शन एवं पहुंच उपलब्ध करना; विश्वविद्यालय से इतर विद्वानों से विचार–विमर्श करना।

– स्वतंत्र तथा सहयोगात्मक अनुसंधान को समझना, उपलब्ध सूचना तथा आंकड़ों का प्रसार, ग्रंथालय तथा प्रलेखन।

– कालेज और विभागों के साथ संबंधों तथा विद्वानों, गैर–सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग को सुदृढ़ करना और महिला आधारित योजनाओं तथा गतिविधियों में भाग लेना।

3.10.2 चरण–II

कतिपय क्षेत्रों में अनुसंधान की विशेष क्षमताओं, कौशल या पाठ्यचर्चा तैयार करने हेतु विकसित क्षमताओं तथा महिला अध्ययन में शिक्षण कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में कतिपय विशेष गतिविधियां, जिनका उदाहरण दिया जा सकता है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

– महिला अध्ययन पाठ्यक्रमों में आधारभूत तथा अन्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम चलाने की सुविधा प्रदान करना तथा अन्य विषयों में महिला अध्ययन को शामिल करने में मदद देना।

– विशेष क्षेत्रों यथा प्रौद्योगिकी/कृषि/मीडिया/पर्यावरण/प्रजनन स्वास्थ्य/साहित्य/जाति/धर्म तथा सम्प्रदाय/श्रम आदि पर अनुसंधान को केन्द्रित करना तथा उसका समेकन करना।

– महिला अध्ययन में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान का विकास करना।

– छात्र तथा कार्यकर्त्ताओं सहित विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशिष्टता के क्षेत्र का विकास करने के लिए संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा कार्यशालाएं आयोजित करना।

– विशिष्ट लक्षित समूहों, पाठ्यचर्या विकास के लिए नवोन्मेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

– राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र अनुसंधान तथा सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य आरंभ करना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों तथा योजनाओं में भागीदारी।

– कालेजों तथा गैर–सरकारी संगठनों के चिन्हित क्लस्टरों के साथ भागीदारी तथा अन्य संबंध प्रगाढ़ करना तथा आस–पड़ोस में महिला अध्ययन के नए केन्द्रों को मार्ग–दर्शन प्रदान करना।

3.10.3 चरण–III

यह केन्द्र क्षेत्र हेतु शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रलेखन के लिए रिसोर्स केन्द्र या नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार के केन्द्रों को उन्नत अनुसंधान केन्द्र के रूप में अपने अनुसंधान का विकास करना होगा/या मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करने तथा महिला अध्ययन में नए शिक्षण तथा अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए अपने अनुसंधान को समेकित करना होगा।

इनके अलावा, उन्हें अपने क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों, सभी विश्वविद्यालय आधारित निकायों, कालेजों, महिला क्रियातन्त्र तथा अनुसंधान एजेंसियों और गैर–सरकारी संगठनों के लिए क्लस्टर या नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करना है। युग्मन पद्धति, अनुभव प्राप्त केन्द्रों द्वारा परामर्शदात्री कार्यक्रम के माध्यम से नए केन्द्रों के विकास को सुविधा प्रदान करेगा। चरण–III के स्थापित किए जा रहे नए युग्मन केन्द्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएगी। नए

विद्वानों को परामर्श देने के लिए तथा परामर्शदात्री प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। वि0अ0आ0 उन्नत केन्द्रों में कनिष्ठ अनुसंधानकर्त्ताओं को कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति तथा स्व–गृह परामर्श को एक माह पूर्व स्वीकार करने हेतु सक्षम बनाएगा। यह विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों को कनिष्ठ अनुसंधानकर्त्ताओं की अनुसंधान क्षमताओं पर परामर्श एवं उनका विकास करने के लिए वहां निवास करने वाले वरिष्ठ विद्वानों को आमंत्रित करेगा।

इनके साथ–साथ चरण–III में केन्द्रों को निम्नलिखित कार्यकरण करने होंगेः–

– एक मजबूत रिसोर्स केन्द्र तथा आंकड़ों और सूचना के प्रसार के माध्यम से पारम्परिक और आधुनिक प्रौद्योगिकी, सूचना डॉजियर, सूचना नेटवर्क आदि का विकास करना।

– शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा पाठ्यक्रमों में नवोन्मेष आरंभ करना।

– राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सम्पर्क बनाना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण तथा अनुसंधान विनिमय कार्यक्रम आरंभ करना।

– विभिन्न क्षेत्रों पर महिला अध्ययनों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरंभ किए जायेंगे।

– शिक्षण/ज्ञान अर्जन सामग्री, पाठ्य सामग्री, संदर्भ कार्य आदि तैयार करना।

3.10.4 एक चरण से दूसरे चरण में अंतरण

केन्द्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावों (अनुलग्नक–II) के आधार पर वि0अ0आ0 स्थायी समिति द्वारा एक चरण से दूसरे चरण में अंतरण पर विचार किया जाएगा, जहां कहीं भी आवश्यक

हो, स्थायी समिति द्वारा नियुक्त स्थायी समितियों/विशेषज्ञों के सदस्यों द्वारा दौरा कर समीक्षा की जाएगी।

3.11 उच्च दर्जा

महिला अध्ययन केन्द्र, जिन्होंने मुख्य केन्द्र के रूप में कार्यकरण किया है, उनकी वि0अ0आ0 के विशेष सहायता कार्यक्रम के लिए पहचान की जाएगी, नामतः

(i) विभागीय अनुसंधान सहायता,

(ii) विभागीय विशेष सहायता (चिन्हित क्षेत्रों में शिक्षण तथा अनुसंधान का संवर्धन करना)

(iii) वि0अ0आ0 की अन्य योजनाओं की भांति उच्च अध्ययन केन्द्र के लिए भी।

4. ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित केन्द्र

ग्यारहवीं योजना में महिला अध्ययन पर विशेष बल दिए जाने का प्रस्ताव है, जो विभिन्न समूहों की समग्रता पर आधारित है। बड़ी संख्या में महिलाएं तंत्र के साथ जुड़ रही है परंतु अकादमिक वातावरण, संगठनात्मक ढांचें तथा तंत्र के मूल में एक जबर्दस्त पुरूष संस्कृति मौजूद हैं। महिला अध्ययन, महिला परिदृश्य में परिवर्तन लाने में, शिक्षण में, अनुसंधान तथा उच्च शिक्षा तंत्र के प्रबंधन में प्रभावपूर्ण साबित हो सकता है। महिला अध्ययन कार्यक्रम का विस्तार धीमा रहा है। जबकि पहली योजना 1986 में आरंभ की गई थी, दो दशक तथा चार योजनाओं के बाद केवल 51 विश्वविद्यालय केन्द्र तथा 16 कालेज केन्द्र मौजूद हैं। इसलिए विश्वविद्यालय तथा साथ ही अच्छे 'ट्रेक रिकार्ड' वाले कालेजों में महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अभिविन्यास, प्रशिक्षण तथा निगरानी के रहते हुए, पुराने केन्द्रों के साथ युग्मता तथा क्लस्टर एप्रोच इसे संभव बनाएगा। चूँकि इस कार्य में मदद करने के लिए पुराने केन्दों की सहायता ली जाती है। महिला अध्ययन में एक अध्यक्षपीठ इस कार्य में बड़ी मदद करेगी। चूँकि उच्च शिक्षा प्रणाली में अंतर्विषय क्षेत्रों के समकक्ष महिला अध्ययन केन्द्र को लाना इसका एक विशिष्ट अधिदेश होगा।

5. भाग–II : प्रचालनात्मक बल

5.8 प्रशासनिक पहलू

5.8.1. प्रस्थिति

विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं अनुसंधान के विशिष्ट विषय के रूप में महिला अध्ययन केवल एक केन्द्र न होकर एक विभाग होना चाहिए। वि0अ0आ0 बार–बार विश्वविद्यालयों से नए शिक्षण पदों हेतु योजना अवधि अनुदान का उपयोग महिला अध्ययन विभागों में पदों के सृजन के लिए किया जाए। इसलिए, विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया है कि वे विभागों का गठन करें जिसमें प्रोफेसर निदेशक तथा पूर्णकालिक प्रभारी, रीडर व लेक्चरार हों।

केन्द्र/विभाग अंतर्विषय प्रकृति का होगा तथा इसका दर्जा अकादमिक विश्वविद्यालय विभाग का होगा जिसमें मुख्य संकाय, अन्य विश्वविद्यालय विभागों के समकक्ष विश्वविद्यालय निकायों पर प्रतिनिधित्व हेतु पात्र होगी। यह किसी विभाग/संस्थान का भाग नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय को उपरोक्त

विभाग/केन्द्र को विश्वविद्यालय अधिनियम तथा परिनियमों में संशोधन कर एक सांविधिक दर्जा देना चाहिए।

5.8.2 नाम पद्धति

केन्द्र/विश्वविद्यालय के लिए नाम पद्धति का चयन प्रत्येक विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया जाता है। तथापि, वि0अ0आ0 के उद्देश्य से सभी केन्द्रों/विभागों को महिला अध्ययन केन्द्र (डब्ल्यू एस सी) कहा जाएगा चूँकि उनका उद्देश्य अंतर्विषय प्रकृति का होगा।

5.8.3 कार्यकलाप

केन्द्र के मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित कवर होंगेः–

(क) शिक्षण तथा प्रशिक्षण।

(ख) अनुसंधान।

(ग) क्षेत्र कार्यवाही, आऊटरीच तथा एडवोकेसी

(घ) सूचना का प्रसार

(ड़) क्लस्टंरिग

(च) परामर्श देना (विशेष रूप से चरण–II तथा III में केन्द्रों के मामले में)

जहां एक ही शहर में दो विश्वविद्यालयों तथा कालेज केन्द्र तथा प्रकोष्ठ हों, जहां तक संभव हो, उनके प्रचालन का क्षेत्र तथा कार्य के संकेन्द्रण को स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए ताकि अतिव्याप्ति से बचा जा सके। शहरी तथा क्षेत्रीय स्तरों पर संघ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

5.8.4 संकाय

विश्वविद्यालयों को महिला अध्ययन केन्द्र हेतु आवश्यक पदों (प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरार) को उनकी विकास योजना में शामिल करने की सलाह दी जाती है। इन पदों को स्थायी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। यह विश्वविद्यालय नियमों के तहत अनुमेय हो तो, विश्वविद्यालय में मौजूदा अनुपयोगी पदों को विभाग/प्राधिकरण की सहमति से महिला अध्ययन केन्द्र/विभाग में विस्थापित कर उपयोग किया जा सकता है। वि0अ0आ0 से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त कर रहे केन्द्रीय/सम–विश्वविद्यालय, पदों को स्थायी करने अथवा उनके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की इसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करेंगे।

(क) महिला अध्ययन केन्द्र/विभाग का मुखिया

प्रत्येक केन्द्र का एक पूर्णकालिक मुखिया होगा। केन्द्र की अध्यक्षता एक प्रोफेसर/रीडर करेगा जो, संकाय के कुलपति या डीन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा जिन्हें वे रिपोर्ट करेंगे।

इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय प्रक्रियाओं के अनुसार या तो प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाएगा या प्रोफेसर/रीडर के समकक्ष चयन समिति के माध्यम से प्रतिनियुक्त या ठेके पर नियुक्त किए जायेंगे। विश्वविद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे स्थायी समिति के एक सदस्य को चयन समिति के एक

विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करें। प्रतिनियुक्ति या ठेके पर नियुक्त व्यक्ति के मामले में, संबंधित व्यक्ति के पास प्रोफेसर/रीडर के लिए संबंधित विषय में अपेक्षित योग्यता भी होनी चाहिए। साथ ही नीचे दी गई अतिरिक्त अपेक्षाएं भी पूरी करनी चाहिए। उन विश्वविद्यालयों में जहां मुखिया को नियमित अवधि पर बदलने की प्रक्रिया प्रचलन में है, वि0अ0आ0 नियमों के अनुसार महिला अध्ययन केन्द्र/विभागों में मुख्य संकाय के भीतर यह केवल रीडर के पद तक ही लागू होगा।

किसी भी विषय से केन्द्र के मुखिया का चयन किया जा सकता है परंतु उसका महिला अध्ययनों में अनुसंधान/शिक्षण का एक स्थापित 'ट्रेक–रिकार्ड' होना चाहिए। डब्ल्यू एस केन्द्रों/विभागों के प्रमुखों के कर्त्तव्य, सामान्यतः किसी अन्य अकादमिक विभागों के समान होंगे तथा दिशानिर्देशों में दी गई रणनीतियों के कार्यान्वयन का अतिरिक्त उत्तरदायित्व होगा।

(ख) मुखिया के लिए अतिरिक्त योग्यताएं

प्रोफेसर/रीडर के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हताओं के अलावा निम्नवत् अतिरिक्त अर्हताएं अपेक्षित होंगी।

चरण–I के लिए मुखिया

– अनुसंधान/शिक्षण तथा क्षेत्र कार्यवाही में अनुभव तथा महिला अध्ययन के क्षेत्र में एक जानी मानी शख्सियत/महिलाओं के मुद्दों/महिला अध्ययन से संबंधित प्रकाशन।

चरण–II तथा III के लिए मुखिया

– मुखिया को महिला अध्ययन में अनुसंधान तथा शिक्षा के संबंध तथा अन्य विस्तार/क्षेत्र कार्यवाही में अनुभव तथा महिला अध्ययन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाए।

– महिला अध्ययन में पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण का 'कुछ अनुभव वांछनीय है।

– नवोन्मेष कार्यक्रम तथा ढांचों को पद्धति में लाने के लिए पहल।

– विश्वविद्यालय के भीतर, अन्य विभाग तथा कालेजों, गैर–सरकारी संगठनों तथा विश्वविद्यालय तंत्र से इतर महिला अध्ययन केन्द्रों के संबंध की क्षमता।

– प्रशासनिक चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता।

(ग) डब्ल्यू0 एस0 केन्द्र/विभाग, अकादमिक संकाय तथा स्टॉफ

डब्ल्यू एस सी के अकादमिक संकाय तथा स्टाफ में निम्नवत् शामिल होंगे:–

(i) मुख्य संकाय

(ii) अन्य अकादमिक स्टाफ; और

(iii) प्रशासनिक कर्मचारी

(i) मुख्य संकाय

मुख्य संकाय में प्रोफेसर रीडर तथा लेक्चरार, शिक्षण–ज्ञान अर्जन सामग्री के समन्वयक, शिक्षण एसोसियेट को अकादमिक स्टाफ में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें भी शिक्षकों को उपलब्ध अवकाश तथा अन्य लाभ प्रदान किए जायेंगे। उन्हें अन्य शिक्षण संकाय के समतुल्य समझा जाएगा। केन्द्र का मुखिया अवकाश पद पर भी रहेगा। तथापि, मुखिया को अवकाश के दौरान आवश्यकता पड़ने पर भी उपलबध रहना होगा।

मुख्य संकाय को शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरार की नियुक्ति की भांति ही चयन समिति के माध्यम से सीधे ही भर्ती, तैनात या ठेके पर नियुक्त किया जाएगा।

महिला अध्ययन हेतु नियुक्त संकाय का आवश्यक रूप से शिक्षण/अनुसंधान/क्षेत्र कार्यवाही तथा विस्तार और महिला अध्ययनों में क्षेत्र कार्यवाही में अनुभव होना चाहिए।

(ii) अन्य अकादमिक स्टाफ

अन्य अकादमिक स्टाफ में परियोजना अधिकारी (अनुसंधान/विस्तार), पुस्तकालयध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक, अनुसंधान अध्येता तथा इसी प्रकार के पदों पर अन्य लोग शामिल होंगे। उन्हें गैर–अवकाश पर सामान्य कार्यालय समय का कर्मचारी माना जाएगा। वे अकादमिक स्टाफ को उपलब्ध अन्य लाभ (अवकाश तथा कार्यालय समय को छोड़कर) के हकदार होंगे। उन्हें

विश्वविद्यालय/कालेज में अन्य कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया के माध्यम से वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदित समान वेतनमान/वेतनमानों पर चयन किया जाएगा।

(iii) प्रशासनिक कर्मचारी

महिला अध्ययन केन्द्रों/विभागों के प्रशासनिक कर्मचारी विश्वविद्यालयों/कालेजों में मौजूदा समान कैडर में होंगे तथा उनका दर्जा विश्वविद्यालय में गैर–शिक्षण स्टाफ का होगा तथा उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय कालेज के मौजूदा नियमों के अनुसार की जाएगी।

5.9 संगठनात्मक ढांचा

(क) परामर्शदात्री समिति

प्रत्येक डब्ल्यू एस केन्द्र/विभाग के लिए एक परामर्शदात्री समिति होगी जिसका अध्यक्ष उपकुलपति/कालेज का प्राचार्य होगा तथा केन्द्र का अध्यक्ष, सदस्य–सचिव होगा। इसकी संरचना विस्तृत होगी। विश्वविद्यालयों में यह विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों/अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञ, जो महिलाओं के मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें सांविधिक समितियों पर सदस्य भी शामिल हो सकते हैं, से सदस्य का चयन कर सकता है। समिति में 7 सदस्य शामिल होंगे जिसमें स्टेशन से बाहर के सदस्य, यदि कोई हो तो, 3 से अधिक नहीं होंगे। कुलपति, की अनुमति में प्रो–वाईस चांसलर/प्राक्टर/डीन को बैठक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है। इसी प्रकार, कालेज में समिति की संरचना (7 सदस्य) में प्राचार्य, विभिन्न विभागों में महिलाओं के मुद्दे पर कार्य करने वाले शिक्षक तथा बाहर से तीन विशेषज्ञ होंगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति में, उप–प्राचार्य या विभाग का वरिष्ठ अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता कर सकता है।

परामर्शदात्री समिति का मुख्य कार्यकरण, सलाह देना तथा केन्द्र की प्रगति तथा कार्यकरण का जायजा लेना है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

(ख) स्थायी समिति

केन्द्र के कार्यकरण को सुग्राही बनाने के लिए, 3 से 5 सदस्यों की एक स्थायी समिति गठित की जाएगी। विभागाध्यक्ष जिसका अध्यक्ष होगा। स्थायी समिति की 2/3 माह में कम से कम एक बार बैठक होगी।

(ग) सांविधिक बोर्ड

केन्द्र को अकादमिक मामलों में परामर्श देने तथा अकादमिक गतिविधियों की निगरानी करने के लिए, विश्वविद्यालय प्रक्रिया के अनुसार, नियमित अध्ययन बोर्ड या अंतर्विषय अध्ययन समिति/बोर्ड या तदर्थ समिति बोर्ड आदि के रूप में एक सांविधिक अकादमिक बोर्ड का गठन किया जाएगा।

(घ) संकाय (प्राधिकारी)

विश्वविद्यालय प्राधिकारी यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या वे महिला अध्ययन के स्वतंत्र संकाय का सृजन करना चाहते हैं या विश्वविद्यालय/कालेज में केन्द्र, महिला अध्ययन केन्द्र/विभाग संबंधी परामर्शदात्री समिति के परामर्श से किसी अन्य संकाय के तहत कार्य करना चाहिए। यदि वहां महिला अध्ययन का कोई स्वतंत्र संकाय नहीं है तो मुखिया को हमेशा सदस्य के रूप में पद प्रदान किया जाना चाहिए।

6. पद्धति

केन्द्रों को चरण I, II और III के तहत वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक केन्द्र की सक्षमताओं और निष्पादन के आधार पर यह एक विकासाधीन प्रक्रिया है।

विभिन्न चरणों के तहत केन्द्रों से की जाने वाली अपेक्षाओं का उदाहरण मद संख्या 3.11 में दिया गया है।

शिक्षण–प्रशिक्षण, अनुसंधान–प्रलेखन, क्षेत्र कार्यवाही तथा कार्यवाही अनुसंधान आऊटरीच तथा एडवोकेसी, केन्द्र की मुख्य गतिविधियां होगी।

चरण I, II और III के तहत गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मुख्य रणनीतियां, क्लस्टरों की नेटवर्किंग के माध्यम से तथा भागीदारी की प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

7. औपचारिकताएं : भागीदारी तथा क्लस्टरिंग

7.8 भागीदारी

विभिन्न स्तरों पर भागीदारी की परिकल्पना एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नेटवर्किंग की प्रक्रिया के रूप में की गई है।

उदाहरणस्वरूप, यह परिकल्पना की गई है किः–

(क) चरण II और III के तहत स्थापित वि0अ0आ0 केन्द्र को चरण I के तहत वि0अ0आ0 केन्द्र, का विकास करने के लिए परामर्श देगा।

(ख) एक वि0अ0आ0 केन्द्र तथा विश्वविद्यालय तंत्र से इतर एक केन्द्र को संयुक्त कार्यक्रम/अनुसंधान/प्रलेखन आदि हेतु।

(ग) एक वि0अ0आ0 केन्द्र तथा एक गैर–सरकारी संगठन के बीच कार्यक्रम/क्रियाकलाप।

(घ) एक वि0अ0आ0 केन्द्र तथा राज्य/जिला स्तर की एजेंसियों को प्रशिक्षण, जागरूकता आदि पैदा करने के लिए।

(ड़) एक वि0अ0आ0 केन्द्र/केन्द्रों तथा एक सरकारी विभाग (उदाहरणस्वरूप केन्द्र एवं राज्य स्तर पर महिला और बाल विकास मंत्रालय/विभाग तथा सूक्ष्म और विशेष अनुसंधान/परियोजनाओं/प्रलेखन/प्रशिक्षण हेतु, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिला आयोगों के बीच)।

(च) एक वि0अ0आ0 केन्द्र तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन या एजेंसी।

(छ) चरण II की उत्तरवर्ती अवधि में एक वि0अ0आ0 केन्द्र अथवा चरण III में एक वि0अ0आ0 केन्द्र, नए स्थापित केन्द्रों के साथ उन्हें आरम्भिक चरण में सहयोग देने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। सामान्यतः पहुँच में सुगमता के लिए दोनों केन्द्र एक ही राज्य या एक ही क्षेत्र में होंगे। इस कार्य को करने के लिए चरण II और चरण III के केन्द्रों को विशेष निधियां प्रदान की जायेंगी तथा उन्हें अनुदान का लेखा–जोखा देना होगा।

7.9 क्लस्टरिंग

क्लस्टरिंग में शामिल होगाः–

(क) किसी भी चरण में वि0अ0आ0 केन्द्र तथा उस क्षेत्र में इर्द–गिर्द किसी भी विश्वविद्यालय में कालेज।

(ख) राज्य में एक वि0अ0आ0 केन्द्र तथा अन्य विश्वविद्यालय जिनमें केन्द्र मौजूद न हों।

(i) (क) और (ख) के तहत क्लस्टरिंग का मुख्य उद्देश्य गतिविधि उन्मुखी होगा।

(ii) क्लस्टरिंग की नींव डालना तथा उसका कार्यान्वयन वि0अ0आ0 केन्द्र के मुखिया तथा संकाय का उत्तरदायित्व होगा।

(iii) क्लस्टरिंग हेतु कालेज/विश्वविद्यालय की पहचान, सीधे ही वि0अ0आ0 केन्द्र द्वारा की जाएगी तथा केन्द्र द्वारा जैसी भी निर्णय लिया जायेगा इसे आगे के विचार करने के लिए या तो परामर्शदात्री समिति को भेजा जायेगा या बोर्ड को भेजा जायेगा।

(iv) मुख्य संकाय या अकादमिक स्टाफ के सदस्य को उपरोक्त कार्य का समन्वय करने का प्रभारी बनाया जायेगा जिसमें वे कालेजों/विश्वविद्यालयों को परियोजना प्रस्तावों का विकास करने में मदद करेंगे, उन्हें कार्यक्रम कार्यान्वयन में मार्गदर्शन देंगे तथा जो कालेज/विश्वविद्यालय क्लस्टर में शामिल हुए हैं उनके निष्पादन तथा नेटवर्क की निगरानी करेंगे।

(v) वि0अ0आ0, संबंधित कालेज तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा ताकि क्लस्टर गतिविधियों से संबंधित कार्य की निगरानी तथा देखरेख की जा सके और आरंभ किए गए कार्य के बारे में सूचना का आदान–प्रदान किया जा सके।

(vi) वि0अ0आ0 को अपने बजट में से वि0अ0आ0 द्वारा विशिष्ट रूप से इसी उद्देश्य के लिए किए गए वित्तपोषण द्वारा क्लस्टर गतिविधियों के प्रबंधन हेतु एक पृथक बजट शीर्ष शामिल किए जाने की आवश्यकता है। वि0अ0आ0 केन्द्र, कालेज/विश्वविद्यालय परियोजना गतिविधि के लिए निधियों की उगाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(ग) चरण III के तहत वि0अ0आ0 केन्द्र तथा विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर तथा बाहर केन्द्र, चयनित कालेज, गैर–सरकारी संगठन, महिला कार्यवाही तथा अनुसंधान एजेंसियों एवं उस क्षेत्र में अन्य निकाय।

(i) उद्देश्य

वि0अ0आ0 केन्द्र संसाधन या नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। क्लस्टर गतिविधि का मुख्य उद्देश्य, उपरोक्त निकायों में महिला अध्ययन के हितों को चरण III में ढांचें के तहत दृष्टिकोण पत्र में सूचीबद्ध विविध रणनीतियों के माध्यम से संवर्धन करना/सुदृढ़ करना।

(ii) प्रक्रिया

वि0अ0आ0 केन्द्र, जो कि संसाधन या नोडल केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, नोडल केन्द्र, क्लस्टर भागीदारों, विशेषज्ञों से सदस्यों को लेकर एक समन्वय समिति के माध्यम से क्लस्टर निर्माण प्रक्रिया तथा आयोजना गतिविधियों का निर्धारण करेगा; यह समिति क्लस्टर गतिविधियों से संबंधित कार्य की देख–रेख व निगरानी करेगी। रिपोर्ट नोडल केन्द्र परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखी जानी चाहिए।

केन्द्र का मुखिया या वरिष्ठ संकाय सदस्य क्लस्टर गतिविधियों के समन्वय का प्रभारी होगा। नोडल गतिविधियों के प्रबंधन के लिए वित्तपोषण वि0अ0आ0 द्वारा विशिष्ट रूप से इस प्रयोजनार्थ दिए गए अनुदान आवंटन से किया जायेगा। निधियां नोडल केन्द्र को कार्यकलाप करने में सक्षम बनाएगी तथा इसमें नोडल केन्द्र के कर्मचारियों को क्लस्टर केन्द्र से यात्रा करने हेतु निधियां भी शामिल होगी। क्लस्टर में केन्द्र भागीदार, वि0अ0आ0 नोडल केन्द्र के साथ, विशिष्ट सहयोग परियोजनाओं/अनुसंधान गतिविधियों के लिए निधियों की उगाही करने के लिए उत्तरदायी होगा।

8. बजट तैयार करना तथा वित्तपोषण

महिला अध्ययन केन्द्रों के ढांचें के लिए संस्तुत नई अवधारणाओं के परिणामस्वरूप, यह प्रस्तावित है कि केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही वित्तीय सहायता न दी जाए, बजाय इसके अनुदान कतिपय चिन्हित कार्यकलापों के समूहों के लिए दिए जाएं न कि प्रत्येक कार्यकलाप को पृथक रूप से वित्तपोषित किया जाए, जिससे महिला केन्द्रों को निर्णय लेने में स्वतंत्रता दी जा सके ताकि वे स्वयं किस क्षेत्र पर बल दिया जाना है, क्षमता तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता के आधार पर अनुदान का उपयोग कर सकें।

वर्तमान में देश में विश्वविद्यालयों में 51 केन्द्र, कालेजों में 16 केन्द्र हैं। योजना अवधि के दौरान, यह अपेक्षा की गई थी कि महिला अध्ययन केन्द्र का दायरा बढ़ेगा। आरंभ किए जाने वाले नए केन्द्रों की निश्चित संख्या उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर है तथा इसका निर्णय स्थायी समिति के परामर्श से किया जाएगा। तीन चरणों यथा चरण–I, चरण–II तथा चरण–III में केन्द्रों के वर्गीकरण की प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संपूर्ण योजना अवधि के दौरान उपरोक्त चरणों के लिए अनुदान आवंटन का प्रस्ताव निम्नवत् हैः–

चरण	विश्वविद्यालयों को आवंटन (लाख रूपए में)	कालेजों को आवंटन (लाख रूपए में)
चरण–I	25 लाख रूपए	15 लाख रूपए
चरण–II	40 लाख रूपए	25 लाख रूपए
चरण–III	60 लाख रूपए	40 लाख रूपए

जब वे तीसरा वर्ष पूरा कर लें, दसवीं योजना अवधि के केन्द्र, तो मध्यावधि समीक्षा के आधार पर उनका चरण–II में अंतरण किया जा सकता है। चूँकि प्रत्येक वर्ष 30 नए विश्वविद्यालय तथा 20 कालेज केन्द्रों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी, परंतु वास्तविक संख्या वित्तपोषण पर निर्भर करेगी। चरण आंकलन पांच वर्ष अवधि के दौरान प्रत्येक बैच के लिए अलग होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकताएँ, जिसमें केन्द्र का वित्तपोषण, महिला केन्द्रों में अध्यक्षपद तथा वि0अ0आ0 में मुख्य स्टॉफ एवं स्थायी समिति तथा अध्यक्ष पद के तहत सभी गतिविधियां शामिल होगी जिन्हें योजना के लिए उपलब्ध निधियों के अनुसार समायोजित किया जायेगा। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है विस्तार योजना तथा प्रस्तावित गतिविधियों को अनुमोदित बजट के भीतर समायोजित

किया जाएगा या उनमें कांट–छांट की जायेगी। वित्तपोषित की जाने वाली गतिविधियों में निम्नवत् शामिल हैः–

(क) मौजूदा 51 विश्वविद्यालय+16 कालेज।

(ख) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में नए केन्द्रों को खोलना (उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वास्तविक केन्द्रों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा)।

(ग) युग्मन तथा क्लस्टरिंग पर व्यय हेतु चरण–II तथा III को अतिरिक्त राशि।

(घ) प्रबोधन, प्रशिक्षण कार्यशालाएं, वार्तालाप।

(ड़) महिला अध्ययन केन्द्रों की द्विवार्षिक बैठक।

(च) प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री का विकास।

(छ) निगरानी तथा मूल्यांकन।

(ज) महिला अध्ययन केन्द्र में वि0अ0आ0 अध्यक्ष पद तथा वि0अ0आ0 में अवस्थित मुख्य स्टॉफ।

वि0अ0आ0 में अवस्थित मुख्य स्टॉफ के संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि आयोग में एक वरिष्ठ महिला अध्ययन विद्वान को वि0अ0आ0 सचिवालय में दत्तकार्य हेतु सीमित अवधि के लिए आमंत्रित करने की पद्धति का विकास करना चाहिए। संबंधित विश्वविद्यालय के साथ इस प्रकार के दत्तकार्य की अवधि के संबंध में बातचीत की जा सकती है। अन्य संभावना हाल ही में सेवानिवृत्त हुए विद्वानों के चयन

की होगी जो, आयोग के सचिवालय द्वारा उन्हें सौंपे गए उत्तरदायित्व को बेहतर माार्गदर्शन संसूचित ढंग से निपटाने के लिए 1–2 वर्ष सहायता/ मागदर्शन प्रदान करने के लिए इच्छुक हों। हम सोचते हैं कि ऐसे कदम से सचिवालय में तीव्रता से बढ़ती दफ्तरशाही को रोकने में मदद मिल सकती है तथा विभिन्न केन्द्रों/विश्वविद्यालयों/कालेजों से सहायता के लिए प्राप्त अनुरोधों का प्रत्युत्तर देने में लम्बे विलम्ब को रोकने में मदद मिलेगी।

इस प्रकार के तदर्थ पदों को आयोग के सचिवालय के तहत अत्यावश्यक प्राधिकार से सुसज्जित करना आवश्यक होगा जिसमें स्थायी समिति साथ ही आयोग के उपाध्यक्ष/अध्यक्ष तक पहुंच का अधिकार भी शामिल होना चाहिए।

समिति का दृष्टिकोण यह है कि इस प्रकार के प्रयोग से 2006–07 के दौरान की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप आयोग का सचिवालय भारत में महिला अध्ययन की भूमिका तथा प्रकृति में होने वाले कतिपय गत्यात्मक परिवर्तनों का समावेश करने में सक्षम हो पायेगा।

9. प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं

9.1 वि0अ0आ0 प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं के लिए प्रत्येक केन्द्र को मानक तथा सरलीकृत फार्मेट भेजेगा।

9.2 लेखांकन प्रणाली, जो समय से अनुदान जारी करने में सुविधा प्रदान करती है, वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9.3 लेखांकन प्रणाली त्रैमासिक अनुदान मानदण्डों पर आधारित तथा अनुलग्नक–IV में विहित प्ररूप में उपयोग के वार्षिक प्रमाणन तथा दिशानिर्देशों में दिए गए व्यय के शीर्षक वार विवरण पर आधारित होगी।

9.4 डब्ल्यू एस सी को कुलपति/कालेज के प्राचार्य के अनुमोदन से बजटीय शीर्ष के 15 प्रतिशत तक पुनर्विनियोजन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि अधिक पुर्नविनियोजन की आवश्यकता हो तो, वि0अ0आ0 का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

9.5 योजनागत अनुदान की प्रमात्रा संसूचित कर दी जायेगी। योजना अवधि के दौरान अनुदान को अग्रेषित करने की अनुमति होगी।

9.6 प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही प्रक्रियाओं के लिखित ब्यौरे को अधिक कार्यकुशलता के लिए तैयार किए जाने का प्रस्ताव है।

लचीली पद्धति की आवश्यकताओं को पूरा करने के मद्देनजर, बजट में निम्नलिखित शीर्ष होंगे जिसमें प्रत्येक शीर्ष के समक्ष अधिकतम व्यय के अनुमेय प्रतिशत को दर्शाया गया है:–

केन्द्र

क्र0सं0	शीर्ष	अनुमेय व्यय प्रतिशत
1.	वेतन (परियोजना, तदर्थ, ठेकागत पद)	40
2.	(i) दै0भ0/या0भ0, अतिथि संकाय, अल्पकालीन स्कॉलर, अध्येतावृत्ति, बैठकें आदि (ii) दस्तावेजीकरण, सामग्री विकास, सूचना की पुनः प्राप्ति तथा प्रसार, ग्रंथालय (iii) संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, अल्पकालीन	30 (मद संख्या (i) से (vi) तक कवर करने के लिए)

	पाठ्यक्रम (iv) प्रकाशन, अनुवाद, न्यूजलैटर, जर्नल (v) दृष्टांत, कार्यक्रम–,पाठ्यचर्या विकास के लिए (vi) अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी	
3	उपस्कर	20
	संचार तथा लेखन सामग्री	5
	आकस्मिता	5

मौजूदा कालेज केन्द्र जिन्हें जारी रहने की अनुमति दी गई है, उन्हें ग्यारहवीं योजना की भांति ही कार्यक्रम अनुदान जारी रहेगा।

सस्वीकृत अनुदान आयोग अवधि के लिए होगा इसलिए, इसे योजना अवधि के अंत तक आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष दर वर्ष अग्रेषित करने की अनुमति है। तथापि, यह सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा मानक प्ररूपों के साथ ही अनुदान मानदण्डों के भीतर उत्तरदायी होगा।

कार्यक्रम को अधिक स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से, संबंधित विश्वविद्यालय के योजना प्रस्ताव में मुख्य स्टॉफ को भी शामिल किया जाना चाहिए।

केन्द्र के पास विकल्प होगा कि वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना के तहत उपलब्ध कराए गए वेतनों के भीतर ही अन्य परियोजना/शिक्षण/गैर–शिक्षण/तकनीकी स्टाफ (अस्थायी) की नियुक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इस शीर्ष का उपयोग ठेकागत तथा तदर्थ पदों के लिए किया जा सकता है, जोकि सांविधिक या अस्थायी पद होंगे। ज्ञान अर्जन सामग्री के सृजन हेतु महिला अध्ययनों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करते हुए–ठेकागत शिक्षण पदों द्वारा भी शिक्षण सामग्री तैयार की जा सकती है।

महिला अध्ययन केन्द्र/विभाग के ढांचें के तहत कार्य करेगा जिसमें सभी अकादमिक मामलों पर केन्द्र को परामर्श या तो एक अध्ययन बोर्ड या एक अंतर–विषय समिति या एक तदर्थ बोर्ड देगा।

यह संबंधित विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह आवास, फर्नीचर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराए।

वि0अ0आ0 सहायता के अलावा केन्द्र को निधियों की उगाही के लिए अन्य स्रोतों का भी पता लगाना होगा।

10. वित्तपोषण मानदण्ड तथा सहायता का पैटर्न

10.1 चिन्हित गतिविधियों के समूह के लिए अनुदानों को प्रदान करते हुए वित्तीय सहायता एक लचीले माध्यम से दी जाएगी जिससे केन्द्र को उनके स्वयं के बल दिए जाने वाले क्षेत्र, क्षमता तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध क्षमता के अनुसार अनुदान का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

10.2 सहायता का पैटर्न तथा बजटीय मदों को 'बजटीय तथा वित्तपोषण मानदण्ड' शीर्षक के तहत विभिन्न शीर्षों के समक्ष दर्शाए गए अनुमेय व्यय की अधिकतम सीमा के साथ विभिन्न मदों में दिया गया है।

10.3 प्रत्येक केन्द्र को अनुदान आवंटन सम्पूर्ण योजना अवधि के लिए दिया जाएगा (5 वर्ष या योजना का अंत जो भी पहले हो) तथा यह निर्भर करेगा कि इसे किस चरण के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है। तथापि, जहां केन्द्र प्रगति दिखाने में असफल हो जाएं, तो उस मामले में स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर वि0अ0आ0 के

पास वित्तपोषण रोकने/अनुदान वापिस लेने का अधिकार रहेगा। प्रत्येक महिला अध्ययन केन्द्र की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी।

10.4 यह संबंधित विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि यह आवास, फर्नीचर तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जहां आवश्यक हो, प्रशासनिक स्टॉफ उपलब्ध कराए।

10.5 केन्द्र के प्रशासन एवं आगे के विकास के लिए वि0अ0आ0 सहायता एक विशिष्ट योजना अवधि के लिए होगी।

10.6 केन्द्र के लिए आवश्यक पदों को विश्वविद्यालय/कालेज विकास योजना में शामिल करना उचित है।

10.7 विश्वविद्यालय/कालेज को राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी, तथा वि0अ0आ0 सहायता प्राप्त केन्द्रीय एवं सम विश्वविद्यालयों के मामले में, वि0अ0आ0 से सृजित पदों को स्थायी करने हेतु अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करना होगा।

10.8 वि0अ0आ0 सहायता के अलावा, केन्दों को अपने क्रियाकलापों के लिए निधियों की उगाही करने हेतु अन्य स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता होगी।

10.9 जिन महिला अध्ययन केन्द्रों ने चरण II/III के रूप में कम से कम पांच वर्ष तक कार्य किया है, वे वि0अ0आ0 मानदण्डों के अनुसार वि0अ0आ0 के विशेष सहायता कार्यक्रम के पात्र होंगे।

11. प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण

11.1 महिला अध्ययन के लिए नए केन्द्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुलग्नक–I में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11.2 एक चरण से दूसरे में जाने के प्रस्तावों को अनुलग्नक–II में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11.3 मौजूदा केन्द्रों को कुलपति/कालेज प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित नए दिशानिर्देशों पर अपनी सहमति देनी होगी तथा अनुलग्नक–III में वि0अ0आ0 को सूचना भेजनी होगी।

11.4 विशेष गतिविधियों के लिए प्रस्ताव में उद्देश्य, रणनीति, औपचारिकताएं, वित्तीय अपेक्षाएं तथा निगरानी तंत्र दर्शाया जाना चाहिए।

11.5 अनुसंधान/ग्रीष्मकालीन संस्थानों/कार्यशालाओं–संगोष्ठियों–सम्मेलनों आदि के लिए प्रस्तावों को वि0अ0आ0 योजनाओं के तहत इस प्रकार की गतिविधियों हेतु वि0अ0आ0 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

11.6 विशेष सहायता विभाग (डीएसए), अनुसंधान सहायता विभाग (डी0आर0एस0) तथा उच्च अध्ययन केन्द्र (सीएएस) एवं वि0अ0आ0 की अन्य योजनाओं के लिए प्रस्तावों को अन्य विषयों के लिए विहित वि0अ0आ0 दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12. वि0अ0आ0 स्थायी समितियों के लिए दिशानिर्देश

(i) *भूमिका और उत्तरदायित्व* : नए केन्द्र स्थापित करना/स्थापित केन्द्रों को जारी रखना।

(क) विधिवत प्रक्रिया अपनाकर विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में नए केन्द्र स्थापित करना।

(ख) महिला अध्ययन केन्द्रों के मुखिया के साथ वार्षिक बैठकों की योजना बनाना तथा अकादमिक और प्रशासनिक आयामों की बेहतर समझ–बूझ के लिए चालू बातचीत के भाग के रूप में सभी कर्मचारियों के लिए वार्तालाप तथा वर्ष में दो बार सम्मेलन आयोजित करना।

(ग) वि0अ0आ0/स्थायी समिति के प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्रीय बैठकों/कार्यशालाओं में भाग लेना।

(घ) केन्द्रों के मुखिया की नियुक्ति हेतु चयन समितियों में वि0अ0आ0 का प्रतिनिधित्व करना।

(ड़) योजना अवधियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश, दृष्टिकोण पत्रों को तैयार करना/संशेधित करना।

(च) रिपोर्ट लेखन, निष्पादन मूल्यांकन आदि के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

(छ) दौरों एवं अन्य औपचारिकताओं के माध्यम से केन्द्रों के कार्य की आवधिक समीक्षा करना।

(ii) विभिन्न चरणों के तहत केन्दों की पहचान तथा नए केन्द्रों को अनुमोदित करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना।

(iii) संयुक्त कार्यक्रमों, राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शों, नीतिगत हस्तक्षेप आदि के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा योजना आयोग के साथ मिलकर कार्य करना।

(iv) सामान्य

(क) वि0अ0आ0 केन्द्रों के मुखियाओं तथा विश्वविद्यालय तंत्र से इतर कालेज/विश्वविद्यालयों/विभागों/केन्द्रों के साथ सतत् रूप से बातचीत करना ताकि इन निकायों के बीच समन्वय किया जा सके।

(ख) वि0अ0आ0 के दायरे से इतर उच्च शिक्षा प्रणाली में कालेजों/विश्वविद्यालयों/विभागों/केन्द्रों की भागीदारी तथा क्लस्टरिंग हेतु वि0अ0आ0 तक पहुंचने के लिए सुविधा प्रदान करना।

(ग) वि0अ0आ0 प्रणाली से इतर वि0अ0आ0 केन्द्रों तथा केन्द्रों/निकायों की प्रोफाईल तैयार करना।

(घ) महिला अध्ययन के विकास एवं उसे सुदृढ़ करने में संगत अन्य मदों पर विचार करना।

(ड़) महिला अध्ययन में वि0अ0आ0 अध्यक्ष पद की स्थापना तथा उसके कार्य में सुविधा प्रदान करना जोकि वि0अ0आ0 स्थायी समिति तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेगी। अध्यक्ष का कार्य होगा वहः–

- विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्रदान करना तथा स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखने से पूर्व प्रस्तावों की संवीक्षा करना।

- नए केन्द्रों के अनुमोदन हेतु विशेषज्ञों के दौरे आयोजित करना।

- समिति द्वारा अनुमोदन या ठुकराए जाने के लिए अपनी टिप्पणी सहित विशेषज्ञों की रिपोर्ट रखना।

- नए केन्द्रों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम विकसित करना।

- विशिष्ट कौशल यथा क्षेत्र कार्यवाही परियोजनाओं तथा अनुसंधान हेतु कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास करना।

- महिला अध्ययन के लिए संवाद तथा अन्य कार्यक्रमों का विकास करना जिसमें उदाहरण के लिए विशिष्ट चरण में केन्द्रों के समूह पर या मुद्दों पर बल दिया गया हो।

- मूल्यांकन हेतु विभिन्न फार्मेट तैयार करना जैसे मान्यता प्राप्त केन्द्रों में प्रारम्भिक दौरे तथा आवधिक निगरानी अथवा मूल्यांकन दौरे।

- निदेशकों की वार्षिक बैठक तथा वि0अ0आ0 केन्द्रों में सभी कर्मचारियों के लिए वर्ष में दो बार होने वाले सम्मेलन आयोजित करना।

- केन्द्रों/युग्मों/क्लस्टरों का विकास एवं पोषण करना तथा जहां मदद की जरूरत हो वहां हस्तक्षेप करना।

– अनुसंधान विशेष रूप से सहयोगात्मक क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के विकास को सुविधा प्रदान करना।

– शिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री की पहचान करना तथा उसे विभिन्न विशेषज्ञों/केन्द्रों को सौंपना।

– संगत विषयों पर क्षेत्र कार्य परियोजनाओं के विकास को सुविधा प्रदान करना तथा उनके प्रभाव के मापन/मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना।

– समय–समय पर यथा आवश्यक इस प्रकार की अन्य गतिविधियों का विकास करना।

(v) नीतिगत भूमिका

(क) महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिशों को नीति निर्माताओं को अग्रेषित किया जाना।

(ख) वार्षिक सम्मेलनों तथा सामान्य निष्कर्षों की रिपोर्ट को कार्यान्वयन हेतु केन्द्रों को अग्रेषित किया जाना।

अनुलग्नक–I

प्रस्ताव फार्मेट

वि0अ0आ0 महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव फार्मेट

1. विश्वविद्यालय प्रोफाईलः

1.1 विश्वविद्यालय का नामः

1.2 पताः

1.3 राज्यः

1.4 स्थापना की तिथिः

1.5 कुलपति का नामः

1.6 कुलसचिव का नामः

1.7 विश्वविद्यालय का प्रकार (केन्द्रीय/राज्य/सम विश्वविद्यालय/निजी)
(शहरी/अर्ध–शहरी/ग्रामीण)

1.8 यदि सम्बद्धन किया जा रहा है तो कालेजों की संख्या.....
प्रकार (सह शिक्षा/महिला/पुरूष कालेज) (एकल/सम्बद्ध) :

1.9

संकाय
क
ख
ग
घ
ड़

च

1.10 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मिशनः

2. महिला अध्ययन पर पृष्ठभूमि सूचना

महिलाओं पर चलाए जा रहे विशिष्ट कार्यक्रम।

पिछले तीन वर्षों में आपने क्या गतिविधियां तथा महिला अध्ययन कार्यक्रम चलाए हैं? (अनुसंधान/शिक्षण/प्रशिक्षण/समुदाय आऊटरीच/अल्पकालीन पाठ्यक्रम)

2.1 महिला अध्ययन पर ग्रंथालय/विभागीय ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तकें तथा अन्य दस्तावेजः

2.2 उपलब्ध कम्प्यूटरीकरण तथा संचार सुविधाएंः

2.3 कृपया निम्नलिखित के साथ संपर्क पर निशान लगाएं

(क) विश्वविद्यालय महिला अध्ययन केन्द्र

हां

नहीं

(ख) स्वायत्त महिला अध्ययन/महिला अनुसंधान संगठन

हां

नहीं

(ग) अंतर्विश्वविद्यालयी संपर्क

हां

नहीं

(घ) कोई अन्य

यदि हां, तो केन्द्रों/संगठनों का नाम बताएं तथा स्थापित संपर्कों का ब्यौरा दें।

2.4 क्या आप महिला अध्ययन में आधारभूत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं?

हां

नहीं

(यदि हां, तो कृपया पाठ्यक्रम की रूपरेखा संलग्न करें)

2.5 क्या आप महिला अध्ययन में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा प्रदान करते हैं? किन विभागों/विषयों में यह पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं?

हां

नहीं

(यदि हां, तो प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम की रूपरेखा संलग्न करें)

2.6 संकाय सदस्यों द्वारा महिला अध्ययन में आरंभ किए अनुसंधान परियोजनाओं की सूची संलग्न करें तथा उनके विभाग/विषय का उल्लेख करें।

2.7 महिला अध्ययनों में संकाय का अनुभव

(शिक्षण, अनुसंधान आदि तथा यह किस विषय से है)

नाम	विषय	अनुभव, वर्षों में

3. प्रस्ताव (ग्यारहवीं योजना दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर)

3.1 गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्यः

(कोई विशेष मुद्दा, विषय, क्षेत्र जिन पर आपका विश्वविद्यालय कार्य करना चाहता है) प्रस्तावित क्रियाकलाप/कार्यक्रम):

3.2.1 शिक्षण

3.2.2 अनुसंधान

3.2.3 प्रशिक्षण

3.2.4 प्रलेखन

3.2.5 क्षेत्र कार्यवाही

3.26 संपर्क

3.3 संसाधनः–

(क) केन्द्र का प्रस्तावित ढांचा (अंतर विभागीय संपर्क तथा अपेक्षित नई अवस्थितियों का खांका खींचे)

(ख) सामग्री (उपलब्ध और आवश्यक स्थान उपस्कर, फर्नीचर, भवन)

(ग) अन्य

3.4 बजट (ग्यारहवीं योजना के अनुसार)

3.4.1 संसाधन सृजन की क्षमता

3.5 चरण–इसके लिए तैयारी

3.6 कोई अन्य ब्यौरा

कुलपति का नाम और हस्ताक्षर

स्थानः

दिनांकः

(यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है तो पृष्ठ संलग्न करें)

अनुलग्नक–II

एक चरण से दूसरे चरण में अंतरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महिला अध्ययन केन्द्र

एक चरण से अगले चरण में अंतरण

प्रस्ताव फार्मेट

1. **महिला अध्ययन केन्द्र पर पृष्ठभूमि टिप्पण**

1.1 विश्वविद्यालय का नामः

1.2 राज्यः

1.3 पताः

1.4 डब्ल्यू एस सी की स्थापना की तिथिः

1.5 वर्तमान चरण आरंभ किए जाने की तिथिः

1.6 निदेशक का नाम, योग्यता तथा अनुभव और कब से स्थान ग्रहण किए हुए हैंः

1.7 पूर्णकालिक/अवैतनिकः

1.8 मुख्य स्टाफ का नाम, योग्यता/अनुभवः

1.9 सहायक संकायः

1.10 प्रशासनिक स्टाफः

1.11 स्थानः

1.12 ग्रंथालय–प्रलेखनः

1.13 कम्प्यूटर तथा संचार सुविधाएंः–

2. निष्पादन

2.1 मुख्य गतिविधियों की विशेषताएं तथा उनका प्रभाव

2.1.1 शिक्षण

(पाठ्यक्रम का ब्यौरा संलग्न करें)

2.1.2 प्रशिक्षण

(प्रशिक्षण माडयूल की रूपरेखा संलग्न करें)

2.1.3 अनुसंधान

(पूरी की गई परियोजनाओं का सार संक्षेपण/चालू परियोजनाआं के उद्देश्य तथा पद्धतियों की संक्षेप में रूपरेखा संलग्न करें)

2.1.4 प्रकाशन

(सूची संलग्न करें)

2.1.5 प्रलेखन तथा प्रसार

(प्रिंट तथा दृश्य–श्रव्य)

2.1.6 क्षेत्र कार्यवाही

(संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न करें)

2.1.7 एडवोकेसी

(संक्षिप्त रिपोर्ट संलग्न करें)

2.1.8 क्लस्टरिंग / नेटवर्किंग

2.2 चरण के तहत मानदण्ड को पूरा करना

2.3 मूल्यांकन–रिपोर्ट संलग्न करें

2.4 संकाय / अनुसंधान / प्रशासनिक स्टाफ की अवस्थिति रिपोर्ट संलग्न करें (अस्थायी / स्थायी पदों आदि के लिए राज्य की सहमति)

3. अगला चरण

3.1 औचित्य प्रतिपादन

3.2 मुख्य क्षेत्र

3.3 नए उत्तरदायित्वों के लिए संकाय की उपलब्धता

3.4 अतिरिक्त आवश्यकताएं:–
वि0अ0आ0 द्वारा

3.5 कोई अन्य (ब्यौरा दें)

कुलपति का नाम और हस्ताक्षर *निदेशक का नाम और हस्ताक्षर*

दिनांक :

(यदि स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया पृष्ठ संलग्न करें)

अनुलग्नक–III

व्यापक ढांचा : रिपोर्ट लेखन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
महिला अध्ययन केन्द्र
व्यापक ढांचाः रिपोर्ट लेखन

1. सामान्य सूचना

1.1 विश्वविद्यालयः

1.2 केन्द्रः

1.3 पताः

1.4 स्थापना की तिथिः

1.5 चरण कब आरंभ किया गयाः

1.6 निदेशक का नामः

2. कार्यक्रम

2.1 उद्देश्यः

2.2. क्या उद्देश्य को पूरा किया गया :

3. ब्यौरा

3.1 शिक्षण

(विश्वविद्यालय के भीतर तथा बाहर भाग लेने वाले संकाय का ब्यौरा दें)

3.2 प्रशिक्षण

3.3 अनुसंधान

3.4 क्षेत्र कार्यवाही

3.5 प्रसारित सूचना

(ग्रंथालय, प्रिंट तथा दृश्य–श्रव्य प्रलेखन तथा प्रकाशन)

3.6 एडवोकेसी

नोटः रिपोर्टिंग के दौरान निम्नलिखित मानदण्डों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(क) प्रत्येक गतिविधि का संक्षिप्त ब्यौरा (उदाहरण के लिए अनुसंधान–नाम, परिदृश्य, निष्कर्ष, प्रभाव, पद्धति)

(ख) कवर किए गए लक्ष्य समूह तथा समय–सीमा

(ग) प्रभाव–सफलता, बाधाएं

(घ) भावी प्रणोद

(ड़) विश्वविद्यालय तंत्र में समेकन

3.7 सफलता की कहानियां

4. रणनीति

4.1 भागीदारी

4.2 क्लस्टरिंग

– विश्वविद्यालय के अन्य विभाग के साथ

– गैर–वि0अ0आ0 अध्ययन केन्द्रों के साथ

– अन्य विश्वविद्यालयों के साथ

– विश्वविद्यालयों के भीतर तथा इससे इतर कालेजों के साथ

– अन्य विश्वविद्यालयों के साथ

4.3 नेटवर्किंग/आऊटरीच

4.4 कोई अन्य

रिपोर्टिंग करते हुए निम्नलिखित मानदण्ड पर विचार किया जाना चाहिएः–

(क) बातचीत की गई–किसके साथ की गई.....

कितने अंतराल पर.....प्रभाव

(ख) संगठन

(ग) समस्याएं–उपलब्धियां

(घ) नेतृत्व भूमिका

5. संसाधन

5.1 लोग

(प्रशिक्षण/अनुसंधान/प्रशासनिक स्टाफ के ढांचे का ब्यौरा, स्थायी/अस्थायी)

5.2 सामग्री

5.3 दस्तावेज

5.4 कोई अन्य

नोटः (क) रिपोर्टिंग गुणात्मक एवं परिमाणात्मक होनी चाहिए।

(ख) उपरोक्त मानदण्डों पर निष्पादन मूल्यांकन के दौरान विचार किया जाएगा।

कुलपति का नाम और हस्ताक्षर निदेशक का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

(यदि स्थान अपर्याप्त हो तो कृपया पृष्ठ संलग्न करें)

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोग प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं..... दिनांक.....को.....के लिए..... योजना के अन्तर्गत.....संस्वीकृत रु.....(रुपए .....मात्र) के अनुदान का उपयोग आयोग द्वारा विहित निबंधन और शर्तों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था।

यदि जांच अथवा लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामस्वरूप, बाद में, किसी समय कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि को वापस, समायोजित अथवा विनियमित करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्राचार्य / कुल सचिव
के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

विश्वविद्यालय सनदी लेखाकार /
सरकारी लेखापरीक्षक, वित्तीय परामर्शदाता
के हस्ताक्षर